भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
निगमित कार्यालय : राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली–110003

Designed & Printed by Pamm Advertising & Marketing

15वीं वार्षिक रिपोर्ट 2009–10

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

भारतीय हवाई अड्डों की बदलती तस्वीर–बेहतर भविष्य की ओर

मैंगलोर हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का आंतरिक दृश्य

वाराणसी हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का आंतरिक दृश्य

विषय सूची

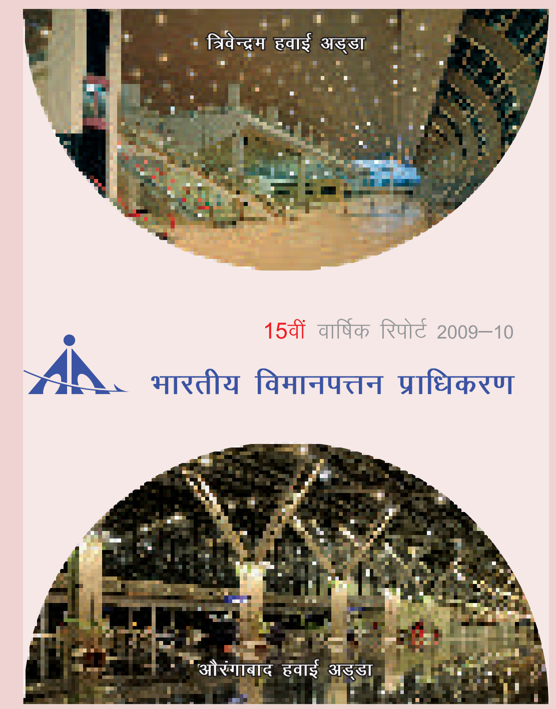

भा वि प्रा बोर्ड के सदस्य 2

सदस्य रिपोर्ट 3

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग कार्मिकों का प्रतिनिधित्व 13

वित्तीय स्थिति 18

कार्य निष्पादन पर एक दृष्टि 20

तुलन पत्र 22

लाभ–हानि लेखा 24

संलग्नक, लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ एवं लेखा नीतियां 28

नियंत्रक एवं महालेखाकार की लेखापरीक्षा रिपोर्ट 54

बोर्ड के सदस्य

वी.पी. अग्रवाल
अध्यक्ष

डा. एस.एन.ए. जैदी
डीजीसीए एवं पदेन सदस्य

ई.के. भारत भूषण
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय

आलोक सिन्हा
संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय

दीपक पारेख
अंशकालिक सदस्य

सज्जन जिन्दल
अंशकालिक सदस्य

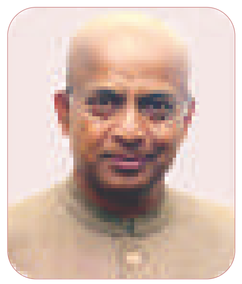

अरुण एल. बोंगिरवार
अंशकालिक सदस्य

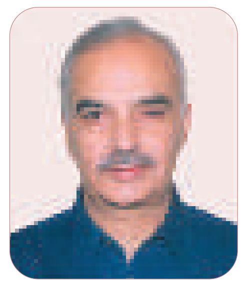

पी. सेठ
सदस्य (प्रचालन)

सतीश सी. छतवाल
सदस्य (वित्त)

के.के. झा
सदस्य (कार्मिक व प्रशासन)

एस. रहेजा
सदस्य (योजना)

एम.सी. किशोर
कार्यपालक निदेशक (निगमित कार्य) एवं कम्पनी सचिव

सदस्य रिपोर्ट 2009-10

प्रस्तावना

वर्ष 2009–10 के दौरान विमान यातायात तथा यात्रियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई । पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि दर विमान संचलन के मामले में 1.9% तथा यात्रियों के मामले में 15.52% रही। राजस्व अब तक की सबसे ऊंचाइयों को छूते हुए ₹4615 करोड़ रहा जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक रहा । इसी तरह विभिन्न हवाई अड्डों पर अवसंरचना कार्यों पर पूंजीगत व्यय ₹2547.52 करोड़ से बढ़कर ₹2742.54 करोड़ हो गया । प्राधिकरण नए टर्मिनलों, धावन पथों, सी एन एस–ए टी एम सुविधाओं इत्यादि के उन्नयन जैसे कार्यों के द्वारा प्रगति करता रहा । चालू वर्ष का परिदृश्य भी आशावादी है तथा प्रबंधन चालू वर्ष की समाप्ति भी सुदृढ़ आधार पर करने के प्रति आश्वस्त है। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पूंजीगत परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु ऋण लेना परेशानी का एक विषय रहा है । वर्ष 2009–10 के दौरान आन्तरिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए यह उधारी ₹550 करोड़ थी। चालू वर्ष में भी प्राधिकरण अपनी पूंजीगत व्यय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार/बैंकों से उधार लेगा ।

मुख्य विशेषताओं पर एक दृष्टि

- कोलकाता व चेन्नई हवाई अड्डों की बड़ी परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समयानुसार प्रगति पर है ।
- मदुरै, अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम, जयपुर, कूच बिहार, डिब्रूगढ़, मैंगलोर, मैसूर तथा बारापानी (शिलांग) हवाई अड्डों में नए टर्मिनल भवनों का निर्माण पूरा किया गया ।
- उदयपुर, पोर्ट ब्लेयर, अगरतला, गुवाहाटी, बागडोगरा, औरंगाबाद, भोपाल, इन्दौर, कोयम्बतूर, कुडाप्पा, विजयवाडा तथा पांडिचेरी में धावन पथ/एप्रन के विस्तार/सुदृढीकरण का कार्य संपन्न किया गया ।
- उदयपुर, देहरादून तथा गोंडिया में नवीन तकनीकी ब्लॉक सह नियंत्रण टावरों के निर्माण का कार्य संपन्न किया गया ।
- डॉ बी0 आर0 अम्बेडकर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर 7 अगस्त, 2009 को संयुक्त उद्यम कम्पनी नामतः एम आई एच ए एन इंडिया प्रा0 लि0 को प्रचालन, अनुरक्षण तथा विकास हेतु सौंपा गया ।
- चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर पंजाब तथा हरियाणा सरकारों द्वारा इस परियोजना के लिए उपलब्ध कराई गई भूमि पर एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण व प्रचालन हेतु 28 जनवरी, 2010 को एक नई संयुक्त कम्पनी नामतः ''चंडीगढ़ अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड '' (सी एच आई ए एल) स्थापित की गई।
- गगन परियोजना अंतिम प्रचालन चरण (एफ ओ पी) में प्रवेश कर चुकी है ।
- निआमार को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी (स्वायत्तशासी निकाय) के रुप में पंजीकृत किया गया है।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2009–10 के दौरान भा.वि.प्रा. की वित्तीय विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

₹ करोड़ में

विवरण	2009–2010	2008–2009
क. राजस्व	4,615.29	4,185.95
ख. व्यय	3,386.85	3,070.23
ग. कर पूर्व लाभ	1,228.44	1,115.72
घ. कर के लिए प्रावधान	575.65	535.57
च. आस्थगित कर देयता/(परिसम्पत्ति)	(59.50)	(107.06)
छ. कर पश्चात लाभ	712.29	687.21
ज. लाभांश	142.50	137.40
झ. लाभांश पर कर	23.67	23.35
ट. आरक्षित के लिए विनियोजन		
(i) विशिष्ट आरक्षित	218.44	210.58
(ii) सामान्य आरक्षित	641.62	517.15
(ठ) आन्तरिक संसाधन	1,283.87	1,152.25

*अंतरिम लाभांश सहित

कुल राजस्व ₹. 4615.29 करोड़

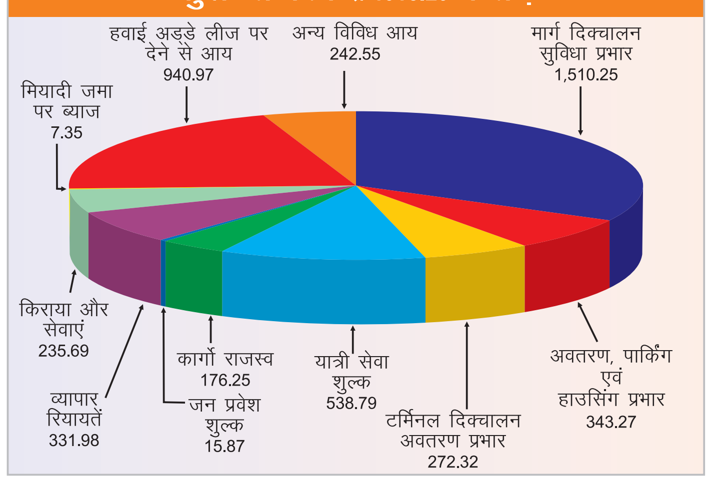

कुल व्यय ₹. 3386.85 करोड़

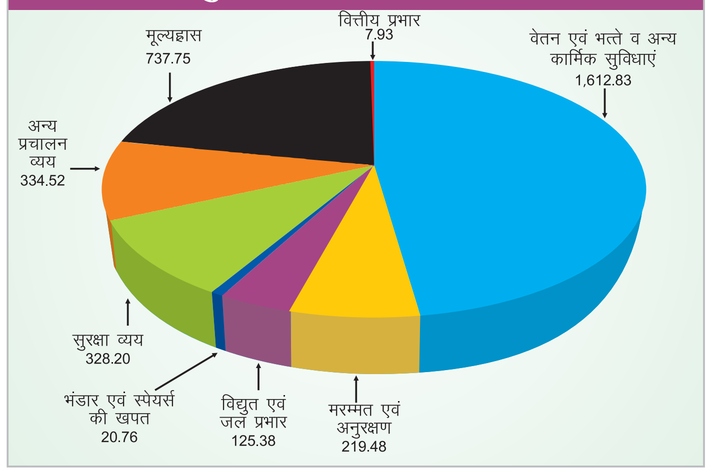

पूंजीगत संरचना

₹ करोड़ में

विवरण	31.3.2010 को	31.3.2009 को
क. सरकारी पूंजी	623.34	573.76
ख. आरक्षित एवं अधिशेष	6,669.24	5,789.84
ग. ऋण	671.94	230.05
घ. शुद्ध मूल्य	7,134.31	6,209.56
च. नियोजित पूंजी	3,284.98	3,230.54
छ. कार्यशील पूंजी	(1,030.99)	(313.60)

सरकार को भुगतान

वर्ष के दौरान, कर को छोड़कर भारत सरकार को निम्नलिखित भुगतान किए गए:

₹ करोड़ में

लाभांश	37.40
गारंटी शुल्क	2.10
सरकारी बजटीय सहायता ऋण पर ब्याज	4.77
सरकारी ऋणों का पूर्वभुगतान/पुनर्भुगतान	27.62
योग	71.89

विदेशी मुद्रा

वर्ष 2009–10 के दौरान पूंजीगत सामग्री की खरीद, अतिरिक्त पुर्जे, विदेशी यात्रा, विदेशी ऋणों के पुनर्भुगतान आदि पर लगभग ₹ 244.39 करोड खर्च किए गए। भा. वि. प्रा. द्वारा विदेशी मुद्रा का मानित अर्जन लगभग ₹ 1009.76 करोड़ था ।

सरकार की ओर से भुगतान

वर्ष के दौरान, भा. वि. प्रा. ने सरकार से बजटीय सहायता के रुप में ₹ 99.15 करोड प्राप्त किए । पूर्वोत्तर परिषद ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के हवाई अडडों के विकास व उन्नयन के लिए अनुदान के रूप में ₹ 70 करोड़ दिए ।

पूंजीगत व्यय

2009–10 में भा. वि. प्रा. द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय ₹ 2742.54 करोड था, जो अब तक का अधिकतम था । यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कई अवसंरचना परियोजनाओं को हाथ में लेने तथा निगमित मुख्यालय स्तर पर चालू कार्यों की निरंतर मानीटरिंग से संभव हुआ है ।

हवाई अड्डों की लीजिंग से आय

वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम कम्पनियों से ₹ 930.60 करोड़ (डी आई ए पी एल – ₹ 538.92 करोड़ व एम आई ए पी एल – ₹ 391.68 करोड़) राजस्व भाग के रूप में प्राप्त किए।

सदस्यों के उत्तरदायित्वों का विवरण

यह सुनिश्चित किया गया कि :

- वार्षिक लेखों की तैयारी में तथ्यों से हटने के संबंध में उचित स्पष्टीकरण सहित, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया ;
- सदस्यों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया और उन्हें एकरूपता से लागू किया व प्राक्कलन एवं अनुमान लगाए जो कि तर्कसम्मत और विवेकसम्मत हैं ताकि उससे वित्तीय वर्ष 2009–10 के अंत में प्राधिकरण की वास्तविक व स्पष्ट स्थिति तथा उस अवधि में प्राधिकरण का लाभ दिखाई दे ।
- सदस्यों ने समुचित लेखा रिकार्डों के रख–रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती।

संभाला गया यातायात

विवरण	इकाईयाँ	अन्तर्राष्ट्रीय	अंतर्देशीय	कुल
विमान संचलन	संख्या में	2,82,204	10,48,688	13,30,892
संभाले गए यात्री	संख्या में	3,43,67,929	8,93,87,504	12,37,55,433
कार्गो	टनों में	12,70,712	6,90,900	19,61,612

2009–10 में पूरे किए गए प्रमुख कार्य

- अमृतसर हवाई अड्डे पर 3 अतिरिक्त पार्किंग बे का निर्माण तथा टर्मिनल भवन (चरण ।।) का मॉडुलर विस्तार।
- चेन्नई हवाई अड्डे पर 24, 25 व 29 बे के लिए एयरोलिंक का निर्माण तथा एयरोब्रिज व ट्रैवलेटर का प्रावधान ।
- चेन्नई हवाई अड्डे पर कमाण्डो और सुरक्षा बलों के लिए बैरेक का निर्माण।
- चेन्नई हवाई अड्डे पर टैक्सीवे से जुड़े बी– 747 विमान के लिए 4 नाइट पार्किंग स्टैण्ड का निर्माण ।
- त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर 8 बे, टैक्सीवे, भू–सहायक उपकरण क्षेत्र व शोल्डर आदि का निर्माण ।
- बागडोगरा हवाई अड्डे पर एप्रन का विस्तार ।
- कुडप्पा हवाई अड्डे पर धावनपथ, टैक्सीवे व एप्रन का निर्माण ।
- कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर पार्ट समानान्तर टैक्सीवे का निर्माण तथा एप्रन का विस्तार ।
- गोंडिया हवाई अड्डे पर समानान्तर टैक्सीवे तथा उससे जुड़े कार्य, नए यात्री लाउंज, नियंत्रण टॉवर, फायर स्टेशन, चारदीवारी एवं आवासीय क्वार्टरों का निर्माण ।
- सूरत हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन (चरण ।।) का निर्माण ।
- उदयपुर हवाई अड्डे पर धावनपथ व संबंधित कार्यो का विस्तार व सुदृढ़ीकरण ।
- उदयपुर हवाई अड्डे पर नए तकनीकी ब्लॉक–व–कंट्रोल टॉवर, फायर स्टेशन व प्रचालन कार्यालय का निर्माण ।
- जयपुर हवाई अड्डे पर नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल कॉम्प्लैक्स तथा नए एप्रन व टैक्सीवे का निर्माण ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

- देहरादून हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन, तकनीकी ब्लॉक–व–कंट्रोल टॉवर, फायर स्टेशन तथा आपातकालीन चिकित्सा केन्द्र का निर्माण।
- लखनऊ हवाई अड्डे पर चार विशालकाय विमानों के लिए एप्रन व टैक्सीपथ का निर्माण।
- कूच बिहार हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण ।
- पोर्टब्लेयर हवाई अड्डे पर एप्रन व अतिरिक्त टैक्सीपथ का विस्तार।
- अगरतला हवाई अड्डे पर मौजूदा धावनपथ का सुदृढ़ीकरण तथा एप्रन का विस्तार व सुदृढ़ीकरण।
- डिब्रूगढ हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण।
- गुवाहाटी हवाई अड्डे पर धावनपथ का विस्तार, लिंक टैक्सीवे, आइसोलेशन विमान पार्किंग स्टैंड एवं नए एप्रन का निर्माण ।
- मंगलौर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन तथा एप्रन का निर्माण।
- विजयवाडा हवाई अड्डे पर धावनपथ का विस्तार व सुदृढ़ीकरण, नए एप्रन, टैक्सीपथ व संबंधित कार्यो का निर्माण।
- औरंगाबाद हवाई अड्डे पर इलेक्ट्रीकल कार्यो सहित धावनपथ का विस्तार ।
- राजाभोज हवाई अड्डा, भोपाल पर धावनपथ का विस्तार व सुदृढ़ीकरण, आइसोलेशन बे व संबंधित कार्यो का सुदृढ़ीकरण।
- गोवा हवाई अड्डे पर नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन के लिए मौजूदा एप्रन के निकट नए एप्रन का निर्माण ।
- इंदौर हवाई अड्डे पर धावनपथ का विस्तार व सुदृढ़ीकरण तथा आइसोलेशन बे व टैक्सीवे का निर्माण ।

प्रचालनात्मक सुविधाएँ

- प्रचालन विभाग में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद तथा बैंगलोर हवाई अड्डों के अनुसूचियों के लिए केन्द्रीयकृत प्रवेश द्वार को आरंभ करके हवाई अड्डा सूचना प्रबंधन प्रणाली (ए आई एम एस) को सुप्रवाही बनाया गया । परिणामस्वरुप निगमित मुख्यालय व नागर विमानन मंत्रालय को इन हवाई अड्डों पर उड़ानों के देरी आदि संबंधी उचित रिपोर्टिंग होने लगी है ।
- सभी नई अवसंरचना के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों पर अवसंरचना परिवर्तन हेतु सुरक्षा निर्धारण प्रक्रिया आरंभ की गई है । इस संबंध में गुवाहाटी, कोलकाता, कोयम्बटूर, सूरत, कालीकट व वडोदरा हवाई अड्डे से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं तथा उनके अनुमोदन के लिए डी जी सी ए को कागजात प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
- निगमित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मैनुअल की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए प्रचालन निदेशालय मैनुअल तैयार कर लिया गया है तथा इंफोसारथी पर अपलोड कर दिया है ।

वाणिज्य गतिविधियाँ

भा.वि.प्रा. ने कोलकाता, चेन्नई, दक्षिणी क्षेत्र में पांच हवाई अड्डों, उत्तरी क्षेत्र में पांच हवाई अड्डों तथा पश्चिमी क्षेत्र में तीन हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस प्रदान किए।

वर्ष के दौरान पूरे किए गए प्रमुख सी एन एस / ए टी एम परियोजनाएँ

- दिल्ली धावनपथ 27, कोलकाता धावनपथ 19 एल, सूरत तथा सिलचर पर उपकरण अवतरण प्रणाली (आई एल एस) के साथ निम्नपावर दूरी मापक यंत्र आरंभ किये गए।
- लेंगपुई व गोंडिया पर उपकरण अवतरण प्रणाली (आई एल एस) के साथ निम्नपावर दूरी मापक यंत्र का प्रतिष्ठापन पूरा कर लिया गया है।
- सम्पूर्ण देश के 58 हवाई अड्डों पर डेडिकेटिड सेटेलाइट संचार नेटवर्क (डी एस सी एन) आरंभ किया गया।
- औरंगाबाद, देहरादून, कोचीन तथा नांदेड पर सह स्थित उच्च पावर दूरी मापक यंत्र के साथ डॉप्लर अति उच्च आवृत्ति ओमनी रेंज (डी वी ओ आर) को आरंभ किया गया।
- जयपुर, कोलकाता व मैसूर पर प्रतिष्ठापन व उड़ान जाँच पूरी कर ली गई है ।
- गया, नागपुर, त्रिची, गोवा, भुवनेश्वर, उदयपुर, विजाग, रांची, पटना व श्रीनगर में उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली (एफ आई डी एस) आरंभ की गई ।
- जयपुर, मंगलौर और मैसूर में उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली का प्रतिष्ठापन पूरा किया गया ।
- दिल्ली– अमृतसर, दिल्ली– जोधपुर, अहमदाबाद–उदयपुर, मुंबई–गोवा, मुंबई–पोरबंदर, नागपुर–भोपाल, कोलकाता – पोर्टब्लेयर के बीच आकाश से भूमि (आर सी ए जी) तक रिमोट कंट्रोल चालू किया गया ।
- रायपुर, गया, पुणे, भुवनेश्वर, सूरत, मदुरै, इम्फाल, लखनऊ, खजुराहो, दिल्ली, भुवनेश्वर पर हवाई अड्डा टर्मिनल सूचना प्रणाली (ए टी आई एस) आरंभ की गई ।
- मुंबई पर ऑटोमेटिक मैसेज हैंडलिंग प्रणाली (ए एम एच एस) – सिंगापुर के साथ परीक्षण प्रचालन सफलतापूर्वक पूरी की गई।
- इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली पर तीसरे धावनपथ तथा संबंधित टैक्सीपथ की निगरानी के लिए एडवांस सर्फेस मुवमेंट गाइडेंस का ऑगुमेंटेशन व नियंत्रण प्रणाली को आरंभ किया गया।
- मदुरै, कोयम्बटूर व त्रिची पर वाइस कम्युनिकेशन नियंत्रण प्रणाली (वी सी सी एस) चालू की गई ।
- 12 हवाई अड्डों पर ई पी ए बी एक्स का प्रतिष्ठापन पूरा किया गया।
- दिक्चालन सुविधाओं का वैमानिक कैलिब्रेशन :

  वर्ष के दौरान 46 आई एल एस 40 डाप्लर अति उच्च आवृति ओमनी रेंज (डी वी ओ आर) / दूरी मापक यंत्र (डी एम ई) तथा 6 सी वी ओ आर / डी एम ई को कैलिब्रेटिड किया गया।

गगन का क्रियान्वयन

- गगन – अंतिम प्रचालन चरण (एफ ओ पी) परियोजना के ग्राउंड आधारित उपकरणों की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, परीक्षण तथा प्रचालन के लिए इसरो द्वारा दिनांक 29 जून, 2009 को मैसर्स रेथियोन को ठेका दिया गया।
- 7 अतिरिक्त स्थलों (भारतीय संदर्भित स्टेशनों) पर एक अतिरिक्त भारतीय मास्टर नियंत्रक केन्द्र (आई एन एम सी सी) तथा 02 अतिरिक्त भारतीय दिक्चालन लैड अपलिंक स्टेशन – (आई एन एल यू एस) के प्रतिष्ठापन के लिए स्थल उपयुक्तता का कार्य पूर्ण हो गया है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) द्वारा भारतीय दिक्चालन लैड अपलिंक स्टेशन – रेडियो आवृत्ति सबस्टेशन (आई एन एल यू एस – आर एफ) तथा अंतरिक्ष सेगमेंट (जी ई ओ – सैटेलाइट) उपलब्ध कराएगा।
- गगन प्रमाण पत्र योजना के दस्तावेज तैयार कर दिए गए हैं गगन प्रमाणपत्र पर एफ ए ए के साथ एक गोलमेज बैठक आयोजित की गई। प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए एफ ए ए से सहायता ली गई।
- आयनमंडल डेटा संग्रहण के लिए 2 अतिरिक्त टी ई सी (कुल इलैक्ट्रान कान्टेंट) स्टेशन स्थापित किए गए हैं। (कुल 26 टी ई सी स्टेशन स्थापित किए गए हैं।)

विमान यातायात प्रबंधन

- 15 मार्च 2010 से दिल्ली व मुंबई में अलग से हेलिकाप्टर कोरिडार आरम्भ किए गए हैं। यह हेलिकाप्टरों का शीघ्र व सुरक्षित प्रचालन सुनिश्चित करेगा।
- ग्राउंड पर विमान प्रचालन की सुरक्षा को बढाने के लिए आई जी आई हवाई अड्डा, दिल्ली, हैदराबाद अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा बेंगलूर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई अड्डा सरफेस मूवमेंट तथा गाइडेंस नियंत्रण प्रणाली (ए एस एम जी सी एस) आरंभ की गई है।
- भारत में केन्द्रीय विमान यातायात प्रवाह प्रबंधन (ए टी एफ एम) के लिए गुणवत्ता आवश्यकताओं (क्यू आर एस) तथा प्रणाली विनिर्दिष्टताओं को बनाने के लिए एफ ए ए, यू एस ए के साथ दिनांक 25 सितम्बर, 2009 को करार ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है जिसका इस वर्ष के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है। इसकी स्थापना होने से भारत में विमानों को बेहतर विमान यातायात प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराने में विमान यातायात नियंत्रक योग्य हो जाएंगे।

- विमान क्षेत्र क्षमता को बढाने के लिए आई जी आई हवाई अड्डे, नई दिल्ली पर टर्मिनल एप्रोच क्षेत्र में 3 एन एम का न्यूनतम राडार पृथक्करण आरंभ किया गया।

- आई जी आई हवाई अड्डे पर ग्राउंड टैक्सिंग में समय कम करने व विमान क्षेत्र क्षमता को बढाने के लिए दोनों धावनपथों 10/28 तथा 11/29 पर मिश्रित मोड प्रचालन आरंभ किया गया है।

- ईंधन व समय की बचत के लिए निम्नलिखित सीधे अन्तर्राष्ट्रीय ए टी एस मार्गो को स्थापित/पुनः निर्धारित किया गया है।

  क) एमिरेट्स एयरलाइन्स द्वारा प्रस्तावित उपयोगकर्ता संदर्भित मार्ग के अंतर्गत के आई टी ए एल तथा ई एल के ई एल के मध्य ए टी एस मार्ग एल 516

  ख) त्रिवेन्द्रम तथा हैनिमाधू (मेल) के मध्य ए टी एस मार्ग एल 899 स्थापित किया गया।

  ग) काठमाण्डू तथा दिल्ली के मध्य ए टी एस मार्ग एल 626 आरंभ किया गया।

  घ) 57 एन एम दूरी को कम करने के लिए गूगल के रास्ते पाकिस्तान एफ आई आर में ए टी एस मार्ग एम 875 मार्ग विस्तारित किया गया।

- कम दूरी का तथा सीधे संपर्क उपलब्ध करवाने व ईंधन व समय की बचत हेतु निम्नलिखित सीधे अन्तर्देशीय रूटों को स्थापित/पुनः निर्धारित किया गया।

  डब्ल्यू 56 एस, डब्ल्यू 126, डब्ल्यू 114 तथा डब्ल्यू 115

- चेन्नई हवाई अड्डे पर पी बी एन एस आई डी/स्टार्स से सीधे संपर्क/सुलभ संचरण ए टी एस मार्गो को उपलब्ध कराने के लिए मुंबई तथा चेन्नई एफ आई आर में न्यू विक्टर वी श्रेणी स्थापित करने के अंतर्गत न्यू कनेक्टर ए टी एस मार्ग बनाया गया।

- ए आई एस अनुभाग आई एस ओ 9001–2008 से प्रमाणित कर लिया गया है । ए आई एस आटोमेशन प्रगति पर है व एफ ए टी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके कार्यान्वयन होने पर इन्टरनेट पर वैमानिक डेटा एवं इसके संशोधन शीघ्रता से अपलोड किए जा सकते है व इस प्रकार यह प्रयोगकर्ता के लिए हर समय उपलब्ध रहता है।

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वेबसाइट पर ए आई पी संशोधन तथा सप्लिमेंट अपलोड किए जा रहे हैं।

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डों के सुविधा के लिए "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डों पर विमानक्षेत्र लाइसेंसिंग पर मैनुअल" तैयार किया गया व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

- 14 स्थलों पर भूमि प्रक्रियाओं के लिए अवतरण एप्रोच का विकास किया गया तथा लागू किया गया है तथा इसे 13 और स्थलों पर लागू किया जा रहा है।

- 195 ए टी सी ओ को एरिया कंट्रोल पाठ्यक्रम के लिए,136 ए टी सी ओ को रडार पाठ्यक्रम के लिए, 46 कनिष्ठ कार्यपालकों को, 12 ए टी सी को ओ पी ए एन एस – ओ पी एस पाठ्यक्रम के लिए, 10 ए टी सी ओ के लिए खोज व बचाव पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- इम्फाल हवाई अड्डे पर रात्रि अवतरण सुविधाएं प्रचालनात्मक कर दी गई है जोकि आवश्यकता पड़ने पर इस हवाई अड्डे पर रात्रि में विमान प्रचालन को सुनिश्चित करेगा।

- ए टी सी क्लियरेंस के ट्रांसमिशन/रिसेप्शन मे दुविधाओं को दूर करने के लिए उड़ान के समान प्रकार के काल साइन के 90 मामलों पर समन्वय बैठको में विचार–विमर्श किया गया।

- नागर विमानन मंत्रालय की संस्तुति पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तकनीकीविदो व महाप्रबंधक (अनापत्ति प्रमाण पत्र) द्वारा मुख्यालय में वैमानिक अध्ययन किया जा रहा है जोकि पूर्व में इकाओ विशेषज्ञों द्वारा किया गया था।

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं फ्रेंच डी जी सी ए के बीच तकनीकी सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा एयरवेज इंटरनेशनल लिमिटेड, न्यूजीलैण्ड के बीच सहयोग ज्ञापन को अंतिम रुप दिया गया है।

- वर्ष के दौरान, ए टी एम निदेशालय के कार्टोग्राफी विभाग ने 11 हवाई अड्डों का सर्वे किया व चार्ट तैयार किया है। डब्ल्यू जी एस – 84 के कार्यान्वयन के कदम के रूप मे, जी पी एस की नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हुए अमृतसर, तूतीकोरीन तथा गुवाहाटी

हवाई अड्डों पर विमानक्षेत्र संदर्भ बिन्दु स्थापित किये गए। यह कम्प्यूटरीकृत डेटा बेस बना रहा है तथा चार्ट मे संशोधन करने के लिए तथा सर्वे डाटा में सटीकरण बढाने हेतु रंगीन वैमानिक चार्ट बना रहा है।

हवाई अड्डों का आई एस ओ प्रमाणन

- क्षेत्रीय मुख्यालय, गुवाहाटी, कालीकट, मंगलूर, त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डो के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू एम एस) 9001: 2008 प्राप्त कर लिया गया है।

- कालीकट हवाई अड्डे को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ई एम एस) आई एस ओ 14001:2004 दिया गया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में आई टी को उन्नत किया जाना

- दस परियोजनाओं हेतु ई निविदा की अग्रगामी परियोजना सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है।

- कर्मचारी पेंशन सूचना प्रणाली (ई पी आई एस) को लागू कर दिया गया है भारत के सभी कर्मचारियों का सी पी एफ तथा पेंशन डेटा केन्द्रीय सर्वर में समेकित कर लिया गया है।

- सफदरजंग हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक डेटा केन्द्र स्थापित किया गया है। यह डेटा केन्द्र, राजीव गाँधी भवन में पहले ही कार्यरत मुख्य डेटा केन्द्र के लिए बैक अप साइट के रूप में कार्य करेगा।

- हवाई अड्डा सूचना प्रबंधन प्रणाली (ए आई एम एस) एप्लिकेशन 12 अन्य हवाई अड्डों नामतः पोर्टब्लेयर, शिमला, दियू, कानपुर, लुधियाना, गग्गल, सूरत, पाण्डिचेरी, जबलपुर, हुबली, कांडला तथा जूहु (मुंबई) पर भी विस्तारित कर दी गई है।

- 05 हवाई अड्डों नामतः सूरत, गगन (बेंगलुरु), हैदराबाद अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, जुहू (मुंबई) तथा एम पी एल एस (दिल्ली) पर वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यू ए एन) संपर्क विस्तारित किया गया है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वी पी एन) पर वैन संपर्क भारत में वर्तमान में 80 स्थानों पर उपलब्ध है। आप्टिकल फाइबर या वीसेट पर मुख्य ध्यान दिया जा रहा है ताकि नेटवर्क को 99% स्तर तक सही रखा जा सके।

प्रशिक्षण

नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज (सी ए टी सी) – इलाहाबाद

- नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज (सी ए टी सी) इलाहाबाद, विमान यातायात प्रबंधन (ए टी एम) व संचार, दिक्चालन व निगरानी (सं. दि.नि.) के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समर्पित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का प्रशिक्षण संस्थान है। सी ए टी सी वैश्विक प्रशिक्षण के लिए कोर्सवेयर के विकास के लिए ट्रेनएयर यूनिट भी है।

- वर्ष के दौरान सी ए टी सी में 79 पाठ्यक्रमो को आयोजित किया गया जिसे 636 प्रशिक्षुओं ने उत्तीर्ण किया।

राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (निआमार)

- राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (निआमार) हवाई अड्डा प्रबंधन के तकनीकी व गैर–तकनीकी क्षेत्रों नामतः हवाई अड्डा प्रचालन, हवाई अड्डा इंजीनियरिंग (सिविल,विद्युत,इलैक्ट्रानिक्स), सूचना प्रौद्योगिकी,परियोजना प्रबंधन, हवाई अड्डा वित्त , हवाई अड्डा प्रबंधन के वाणिज्यिक पहलू, मानव संसाधन प्रबंधन, कार्यालय प्रबंधन, अन्तरराष्ट्रीय विमानन विधि, कार्गो प्रबंधन, विमानन संरक्षा व सुरक्षा पर प्रबंधन विकास कार्यकम आयोजित करता है।

- वर्ष के दौरान 126 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को आयोजित किया गया इन पाठ्यक्रमों को 327 कार्मिकों ने उत्तीर्ण किया।

- सरकार के निर्णयों का अनुशरण करते हुए,सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत निआमार को सोसायटी (स्वायत्त बाडी) के रुप मे परिवर्तित कर पंजीकृत किया गया। यह भाविप्रा, डीजीसीए तथा बी सी ए एस तीनों संगठनो के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के सहयोग से हुआ है।

- निआमार ने आई ए टी ए के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया है जिसके अंतर्गत आई ए टी ए वर्ष 2009–10 के दौरान निआमार में प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित करेगा। निआमार द्वारा प्रशिक्षण सुविधाओं को उपलब्ध कराने के बदले आई ए टी ए प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यकम मे भा0 वि0 प्रा0 को तीन सीटें देगा।

कर्मचारी संख्या

दिनांक 31 मार्च, 2010 को भा0 वि0 प्रा0 मे 18514 कर्मचारी थे।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध मधुर रहे ।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत अधिनियमों व नियमों का पालन सुनिश्चित करता है । वर्ष के दौरान, हिन्दी प्रगति की समीक्षा व कर्मचारियों को हिन्दी में कार्यनिष्पादन करने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए निगमित मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालयों व फील्ड स्टेशनों पर हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया । निगमित मुख्यालय और अन्य समस्त स्टेशनों पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा हिन्दी पखवाड़े का आयोजन भी किया गया ।
- संसदीय राजभाषा समिति की द्वितीय उप समिति द्वारा अहमदाबाद व चेन्नई कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया ।
- वर्तमान में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा हिंदी में कई गृह पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है, जिनमें चेतना, दृष्टि, विमान भारती, नीलांचल इत्यादि मुख्य हैं तथा अर्पण पत्रिका का प्रकाशन निगमित मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है ।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में हिन्दी के प्रयोग को बढाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों व अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में खेलकूद गतिविधियां

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपनी खेल नीति के अनुरूप अपनी विभिन्न खेल योजनाओं जैसे कि खेल कूद प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण योजना, खेल–कूद संविदा (कंट्रैक्ट) योजना तथा खेल कूद छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट युवा खिलाड़ियों को शामिल किया है।

- भा0 वि0 प्रा0 ने गंगटोक, सिक्किम में आयोजित 39वीं अंतर संस्थानिक टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भाग लिया।
- भा0 वि0 प्रा0 ने कोलकाता में अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र फुटबाल टूर्नामेंट का आयोजन किया ।
- भारतीय बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में आयुध निर्माणी खेलकूद संवर्द्धन बोर्ड द्वारा कोलकाता में आयोजित अंतर संस्थानिक बैडमिंटन टूर्नामेंट में भा0 वि0 प्रा0 ने भाग लिया ।
- भा0 वि0 प्रा0 खेलकूद प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत शामिल साइकोंड जयलक्ष्मी ने मिश्रित प्रतिस्पर्धा में सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जीती ।
- भा0 वि0 प्रा0 की पुरुष व महिला बैडमिंटन टीम, गोवा में आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र बैडमिंटन टूर्नामेंट के टीम चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुँची।

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

सी. एस. आर. के संबंध में सरकार की नीति के अनुसार भा0 वि0 प्रा0 ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया :–

- रंगपुरी में पेपर रिसाइकिलिंग तथा लेखन सामग्री इकाई :

  भा0 वि0 प्रा0 का महिला कल्याण संगठन, कल्याणमयी जो कि भा0 वि0 प्रा0 के निगमित सामाजिक दायित्वों से संबंधित गतिविधियों हेतु उत्तरदायी है, के माध्यम से मई 2009 में भा0 वि0 प्रा0 ने रिसाइकिल्ड पेपर के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है ।
- वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण :

  पूरे देश में भा0 वि0 प्रा0 के सभी हवाई अड्डों पर मानसून के मौसम में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई और 10,000 वृक्ष सफलतापूर्वक लगाए गए ।
- एकीकृत सामुदायिक विकास कार्यक्रम :

  भा0 वि0 प्रा0 ने पेक्योंग, सिक्किम में एक एकीकृत सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भी शुरुआत की है । पेक्योंग, जहाँ पर एक नए हवाई अड्डे के निर्माण हेतु कार्य चल रहा है, के लोगों की स्थानीय सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुसार वहाँ पेक्योंग सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना की शुरुआत की गई ।
- भा0 वि0 प्रा0 के निर्माण स्थलों पर बालबाड़ी (क्रेच) की व्यवस्था :

  30 निर्माण स्थलों पर बालबाड़ी की स्थापना की गई ताकि निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के बच्चों तथा अनियमित महिला मजदूरों के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध हो सके। निगमित सामाजिक दायित्व परियोजना के अंतर्गत बालबाड़ियों में स्वास्थ्य जांच, दोपहर का भोजन, शैक्षणिक सामग्री जैसी बहु उपयोगी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ।
- अन्य :

  भा0 वि0 प्रा0 ने औपचारिक शिक्षा के लिए अपने संसाधनों का निवेश मुख्यतया किया है। भा0 वि0 प्रा0 वर्तमान में पूरे देश में 21 से भी ज्यादा विद्यालयों में नर्सरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक के 10,200 से भी अधिक विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान कर रहा है।

सतर्कता संबंधी गतिविधियाँ

संगठन में दक्षता एवं पारदर्शिता लाने में सतर्कता विभाग प्रबंधन के प्रति एक सकारात्मक सक्रिय भूमिका निभाता रहा । वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा सम्पन्न मुख्य गतिविधियों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

- सत्यनिष्ठा समझौते के संदर्भ में स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं (मानीटर्स) के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गई ।
- सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन के मुद्दों पर चर्चा करने तथा प्रतिक्रिया (फीडबैक) लेने के लिए प्रथम विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- प्राधिकरण में सभी स्तरों पर सतर्कता जागरुकता सप्ताह का आयोजन किया गया ।
- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा एक सत्यनिष्ठा क्लब का प्रारम्भ किया गया । इसे भा0 वि0 प्रा0 में सतर्कता विभाग द्वारा की गई अग्रगामी पहल के अंग के रुप में प्रारम्भ किया गया है।
- ''भा0 वि0 प्रा0 में संरचनात्मक परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंधन'' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला का उद्देश्य वरिष्ठ प्रबंधक से लेकर महाप्रबंधक स्तर तक के अधिकारियों में परियोजना प्रबंधन के नाजुक मुद्दों पर जागरुकता पैदा करना था।
- भा0 वि0 प्रा0 के विभिन्न हवाई अड्डों पर सतर्कता विभाग द्वारा सी. टी. ई. प्रकार का निरीक्षण नियमित रूप से किया गया।
- ''अच्छे शासन के लिए सूचना–प्रौद्योगिकी को उन्नत करना'' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

विमानन संरक्षा

- निगमित संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (सी–एस एम एस) द्वितीय संस्करण तैयार किया गया तथा इसे नागर विमानन महानिदेशक के पत्र सं0 ए वी–20011/15/06–ए एल दिनांक 7–8–09 के माध्यम से स्वीकार किया गया।
- भा0 वि0 प्रा0 संरक्षा समीक्षा बोर्ड ने दिनांक 19–5–09 को आयोजित अपनी 130वीं बैठक में निगमित संरक्षा प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन योजना (सी– एस आई पी) को अनुमोदन प्रदान किया।
- विमानन संरक्षा निदेशालय नियमावली का द्वितीय संस्करण तैयार किया गया।
- सम्पूर्ण भारत में दिनांक 23–11–2009 से 27–11–2009 तक विमानन संरक्षा सप्ताह मनाया गया ।
- 28 स्टेशनों की संरक्षा संबंधी लेखा–परीक्षा की गई।

कार्गो गतिविधियां

भा0 वि0 प्रा0 द्वारा संचालित हवाई अड्डों पर हैंडल किए गए कार्गो में वर्ष 2008–09 की तुलना में वर्ष 2009–10 में 11.55% की वृद्धि हुई ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता को मुंबई में आयोजित एयर कार्गो इंडिया–2010 अन्तरराष्ट्रीय नेटवर्किंग सम्मेलन व प्रदर्शनी के दौरान "इमरजिंग कार्गो एयरपोर्ट ऑफ द इयर" की श्रेणी में हवाई कार्गो के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अन्तरराष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया।

प्रणाली में सुधार

कोलकाता हवाई अड्डा

- आयात संबंधी कार्गो के प्रोसेसिंग समय को कम करने के लिए आई सी एम एस के माध्यम से लोकेशन स्लिप एवं टर्मिनल प्रभार रसीद को मिलाकर एक संयुक्त दस्तावेज बनाया गया है।
- आई. जी. एम., बिल ऑफ एन्ट्री, सीमा शुल्क की ओर से सीमा शुल्क 'आउट ऑफ चार्ज' के संबंध में ई. डी. आई. संदेशों की आनलाइन प्राप्ति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया।

• नागर विमानन मंत्रालय के निदेशों के अनुसार आयात पक्ष पर पुनः पृथक्करण प्रभार लागू किया गया ।

चेन्नई हवाई अड्डा

• सीमा शुल्क प्राधिकारियों व व्यापार सहयोगियों के साथ मिलकर अक्तूबर, 2009 से चेन्नई हवाई अड्डे पर वैब आधारित आयात कार्गो प्रचालन कार्यान्वित किया गया है ।

अन्य हवाई अड्डे

• भा0 वि0 प्रा0 ने अमृतसर हवाई अड्डे पर कार्गो गतिविधियाँ विभागीय रूप से आरम्भ कर दी है।

• नागर विमानन मंत्रालय के निदेशानुसार अंडमान व निकोबार प्रशासन से पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर एयर कार्गो परिसर लिया गया।

भावी दृष्टिकोण

पिछले कुछ महीनों में हवाई यातायात में वृद्धि के कारण उद्योग के राजस्व में उछाल आया है तथा यह आशा की जाती है कि वर्ष के दौरान समूचे उद्योग व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वित्तीय हालत में सुधार होगा । संयुक्त उद्यम कम्पनियों से राजस्व में वृद्धि इन दो मुख्य प्रवेश द्वार हवाई अड्डों में अधिक उड़ानें आने से हुई है। चालू वर्ष के दौरान कार्गो क्षेत्र ने भी प्रगति की है । टू टीयर शहरों में नए टर्मिनल भवन चालू किए जाने के उपरांत यह आशा है कि वर्ष के दौरान गैर यातायात राजस्व में भी वृद्धि होगी।

बोर्ड के सदस्य

वर्ष के दौरान बोर्ड के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 18 फरवरी, 2010 के अपने पत्र सं0 ए वी –24011/3/2008–ए ए आई के अनुसार श्री एस. रहेजा, कार्यपालक निदेशक (इंजीनियरिंग) को पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा अन्य आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, सदस्य (योजना) के रुप में नियुक्त किया है । श्री रहेजा ने 18 फरवरी, 2010 को सदस्य (योजना) के रुप में पदभार ग्रहण किया ।

31 मार्च, 2010 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में निम्नलिखित शामिल थे :–

1. श्री वी पी अग्रवाल – अध्यक्ष
2. डॉ0 एस.एन.ए. जैदी – महानिदेशक नागर विमानन व पदेन सदस्य
3. श्री ई.के. भारत भूषण – अंशकालिक सदस्य
4. श्री आलोक सिन्हा – अंशकालिक सदस्य
5. श्री पी. सेठ – सदस्य (प्रचालन)
6. श्री एस.सी. छतवाल – सदस्य (वित्त)
7. श्री के.के.झा – सदस्य (कार्मिक एवं प्रशासन)
8. श्री सुधीर रहेजा – सदस्य (योजना)
9. श्री दीपक पारेख – अंशकालिक गैर सरकारी सदस्य
10. श्री सज्जन जिन्दल – अंशकालिक गैर सरकारी सदस्य
11. श्री अरुण लक्ष्मण बोंगिरवार – अंशकालिक गैर सरकारी सदस्य

आभार प्रदर्शन

प्राधिकरण, कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर किए गए सद्भावना पूर्ण प्रयासों तथा योगदान की सराहना करता है ।

प्राधिकरण, नागर विमानन मंत्रालय, डी0 जी0 सी0 ए0, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा अन्य सरकारी विभागों, एयरलाइन्स एवं अन्य एजेन्सियों द्वारा दिए गए समर्थन तथा सहायता के लिए भी आभार प्रकट करता है । प्राधिकरण, सभी क्षेत्रों के अपने क्रियाकलापों में बैंकॉक स्थित इकाओ के क्षेत्रीय कार्यालय तथा मांट्रियल स्थित इकाओ के मुख्यालय द्वारा दिए गए समर्थन व सहयोग की सराहना करता है ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से,

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.08.2010

(वी.पी. अग्रवाल)
अध्यक्ष

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अनु. जाति/अनु. जनजाति एवं विकलांग कार्मिकों का प्रतिनिधित्व

अनु. जाति/अनु.जन जाति कार्मिकों का प्रतिनिधित्व

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में राष्ट्रपति के दिशा–निर्देशों का नियमित कार्यान्वयन व मानीटरिंग की जाती है। दिनांक 31.03.2010 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अ.जा./अ.ज.जा. कार्मिकों की संख्या निम्नलिखित थी :–

जनशक्ति	अनुसूचित जाति कार्मिकों की संख्या	अनुसूचित जाति कार्मिकों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति कार्मिकों की संख्या	अनुसूचित जनजाति कार्मिकों का प्रतिशत
18514	4293	23.19%	1199	6.48%

अनुसूचित जाति का निर्धारित प्रतिशत 25%, अनुसूचित जनजाति का 7% तथा विकलांग कार्मिक का 3% है।

वर्ष 2009–10 के दौरान भा.वि.प्रा. के 221 कार्यपालकों को विशेष प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा गया जिसमें 25 अनुसूचित जाति व 6 अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी थे।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए छूट व रियायत

भर्तियों के संबंध मे आयु, फीस, अर्हता मानदण्डों तथा यात्रा भत्ता पर रियायत व छूट प्रदान की जाती है। भर्ती व पदोन्नति मार्गनिर्देशन के अनुसार पदोन्नति में दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है। सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं में छूट व रियायत देने के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को सभी विभागीय पदोन्नति समितियों मे शामिल किया जाता है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाएं / नीतियां

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मे विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। दिनांक 31.03.2010 को प्राधिकरण में विकलांग व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित थी :–

कर्मचारियों की कुल संख्या	दृष्टि विकलांग	श्रव्य विकलांग	शारीरिक रूप से विकलांग	विकलांग कार्मिकों की संख्या	विकलांग कार्मिकों का प्रतिशत
18514	27	18	151	196	1.06%

विकलांग व्यक्तियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई है:

I. सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार 3% पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है।

II. सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों को शुल्क भुगतान में छूट तथा आयु में रियायत दी गई है।

III. विकलांग कर्मचारियों को निर्धारित सामान्य दरों से दुगना वाहन भत्ता दिया जाता है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं :

• विकलांग व्यक्ति एक तल से दूसरे तल तक जा सकें, इसके लिए लिफ्ट की व्यवस्था। लिफ्टों के दरवाजों के आकार इतने बड़े रखे गए हैं कि उनमें पहिए वाली कुर्सी (व्हील चेयर) आसानी से आ–जा सकती है ।

• प्रत्येक सुविधा क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था ।

• विकलांग व्यक्तियों को दूर खड़े विमान तक ले जाने और वहाँ से ले आने के लिए उनकी पहिए वाली कुर्सी (व्हील चेयर) को कमिशरी ट्रक में चढ़ाने हेतु एयरसाइड में एक अलग रैम्प तथा एक लोडिंग डॉक उपलब्ध कराया गया है ।

• जिन हवाई अड्डा प्रयोक्ताओं को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए आपातकालिक सेवा के तौर पर चिकित्सा जांच कक्ष (एम आई रुम) में पहिए वाली कुर्सी (व्हील चेयर) की निःशुल्क व्यवस्था ।

• विकलांग व्यक्तियों के लिए टर्मिनल भवन तथा कर्ब क्षेत्र में रैम्प की व्यवस्था ।

• विशेष सुविधा के तौर पर विकलांग व्यक्तियों को कर्मचारी की तैनाती सहित पी. सी. ओ. बूथों का आबंटन ।

• अपना वाहन चलाने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए कार पार्किंग क्षेत्र में विशेष तौर पर निर्धारित किए गए पार्किंग स्थल ।

• सुरक्षा जांच संबंधी क्षेत्रों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि जांच क्षेत्रों से पहिए वाली कुर्सियां (व्हील चेयर) आसानी से आ–जा सकें ।

महामहिम भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने महाराष्ट्र में जलगाँव हवाई अड्डे के विकास कार्य का शिलान्यास किया।

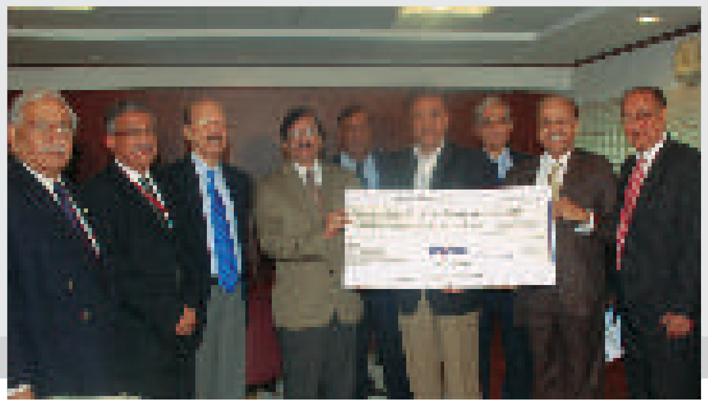

माननीय नागर विमानन मंत्री श्री प्रफुल पटेल को अध्यक्ष, भा.वि.प्रा. वर्ष 2008–09 के लिए लाभांश चैक भेंट करते हुए।

श्री वी.पी. अग्रवाल, अध्यक्ष, भा.वि.प्रा. आर्की–डिजाइन द्वारा वास्तुशिल्पीय व पर्यावरणीय जागरूकता अवार्ड प्राप्त करते हुए।

अहमदाबाद में निरीक्षण बैठक के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की द्वितीय उप–समिति के माननीय सदस्य।

श्री एम. माधवन नंबियार, सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली में आयोजित ईयू–इंडिया विमान यातायात प्रबंधन संगोष्ठी को संबोधित करते हुए।

अध्यक्ष भा.वि.प्रा., कल्याणमयी के द्वारा संचालित पेपर रिसाइक्लिंग यूनिट का उद्घाटन करते हुए।

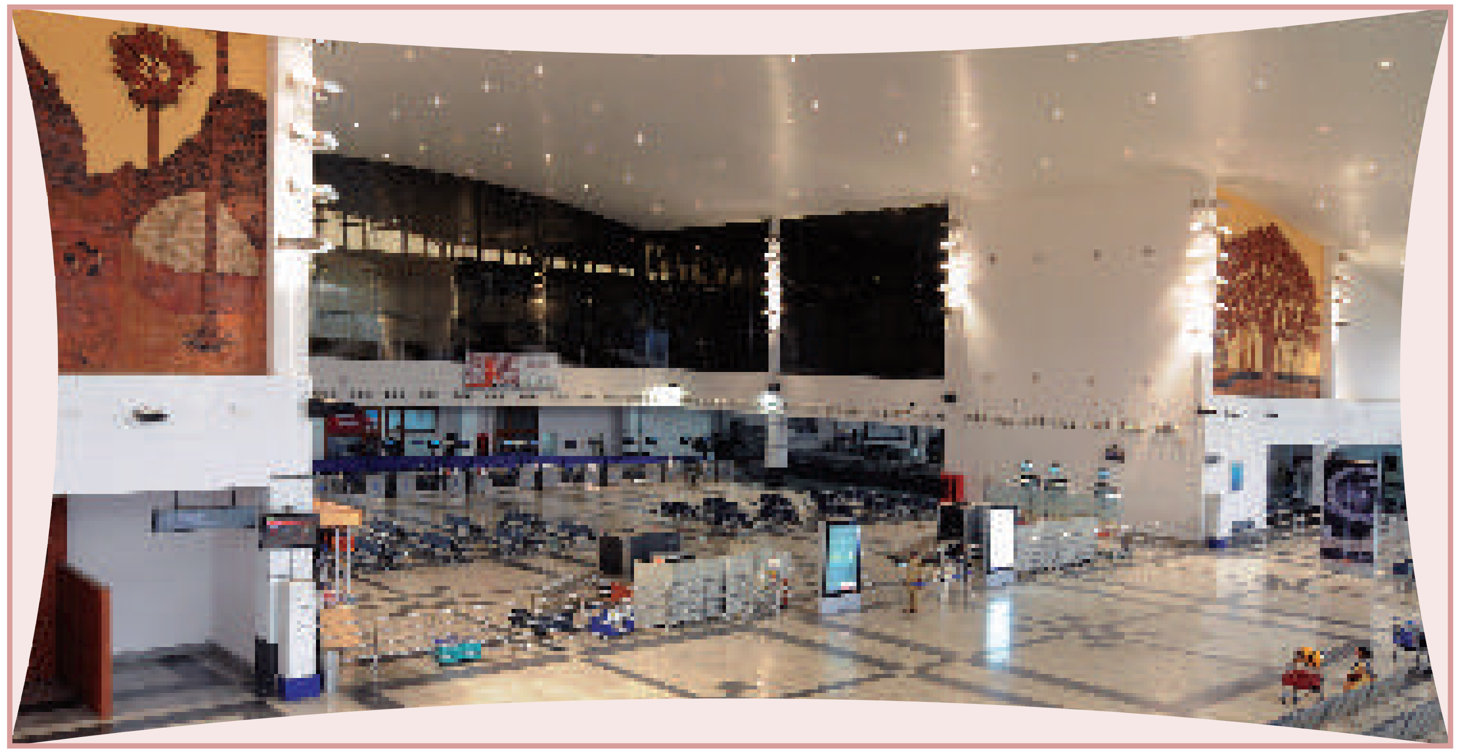

विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का आंतरिक दृश्य

मदुरै हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का आंतरिक दृश्य

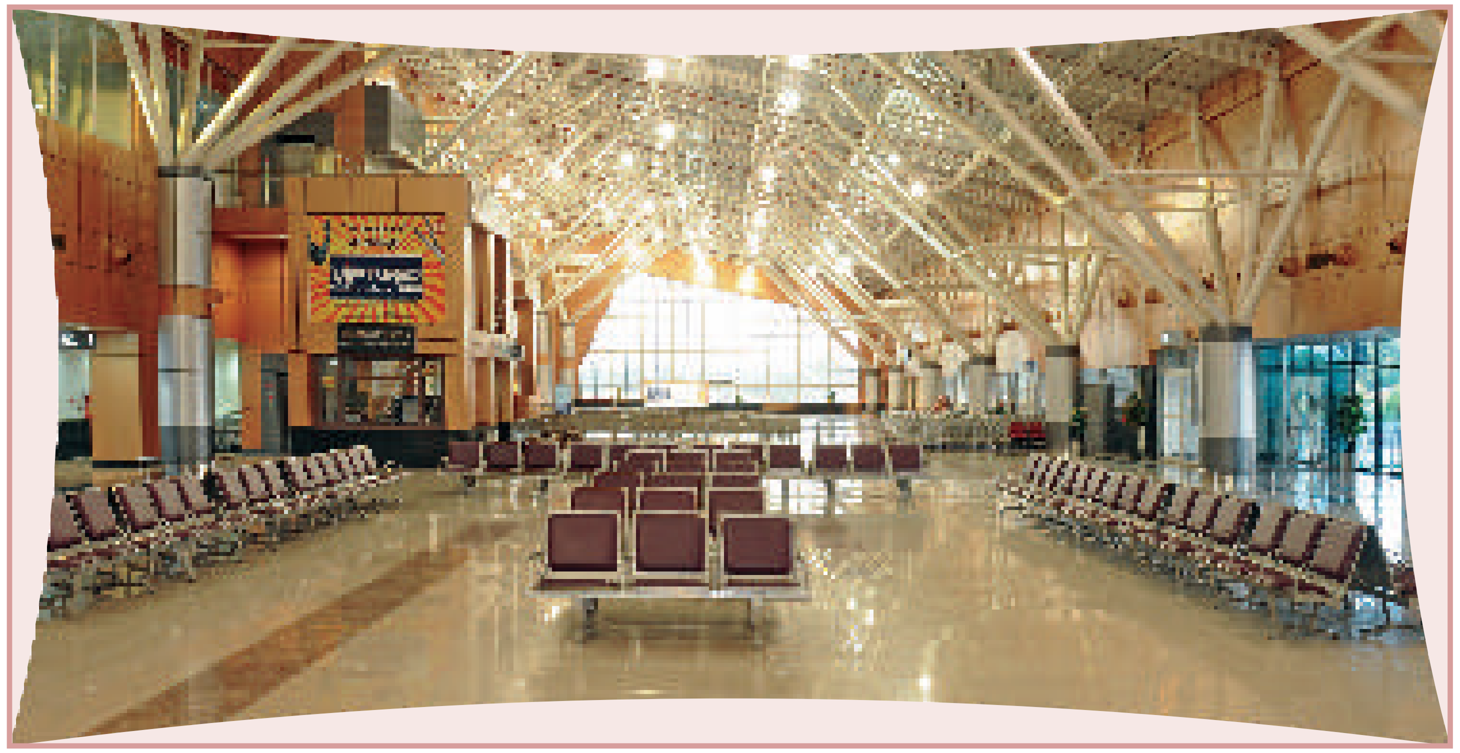

डिब्रूगढ हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का आंतरिक दृश्य

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का आंतरिक दृश्य

वित्तीय स्थिति

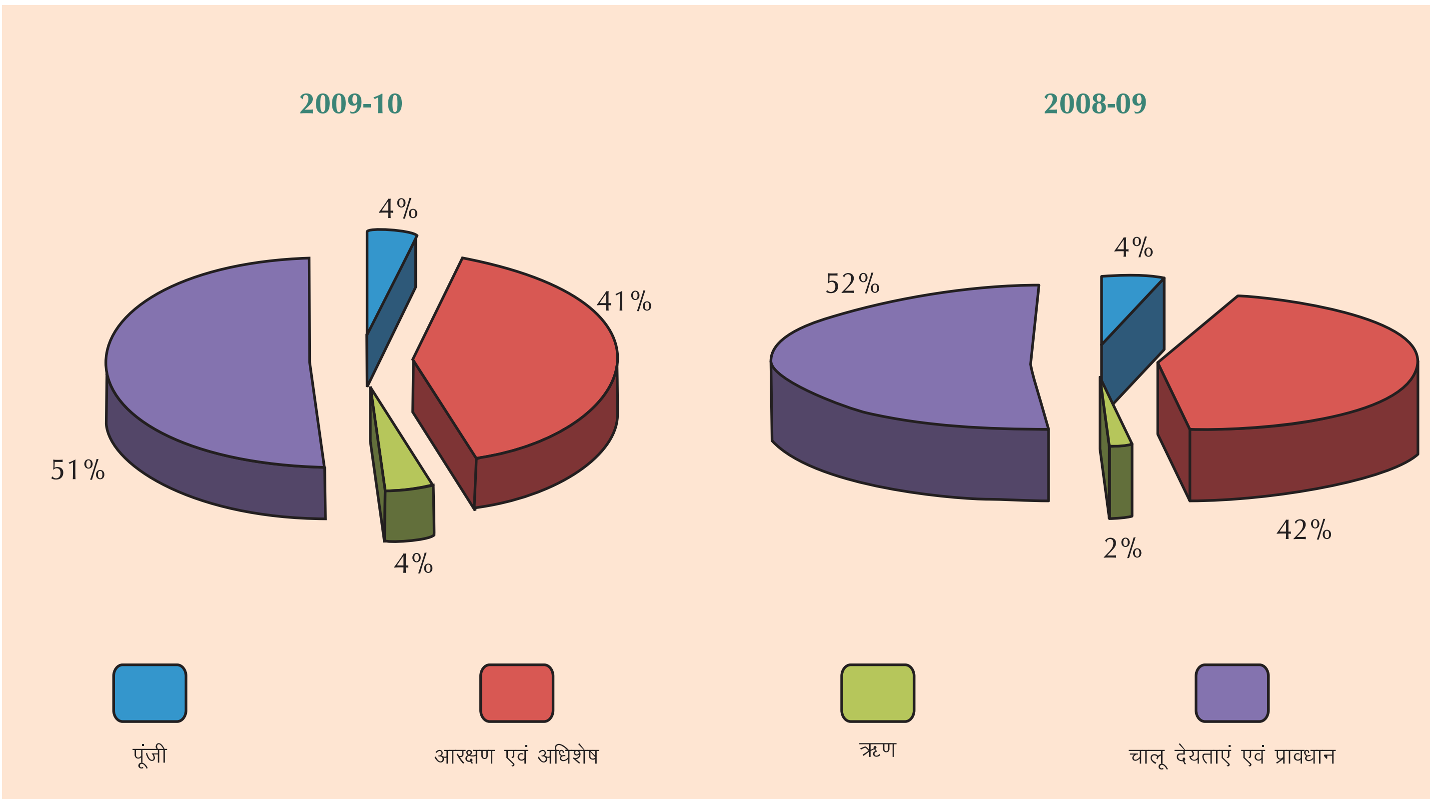

हमारी देनदारियां

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2010 को	31 मार्च 2009 को
पूंजी	**623.34**	573.76
आरक्षित एवं अधिशेष	**6,669.24**	5,789.84
ऋण	**671.94**	230.05
चालू देयताएं एवं प्रावधान	**8,319.26**	7,076.77
योग	**16,283.78**	13,670.42

वित्तीय स्थिति

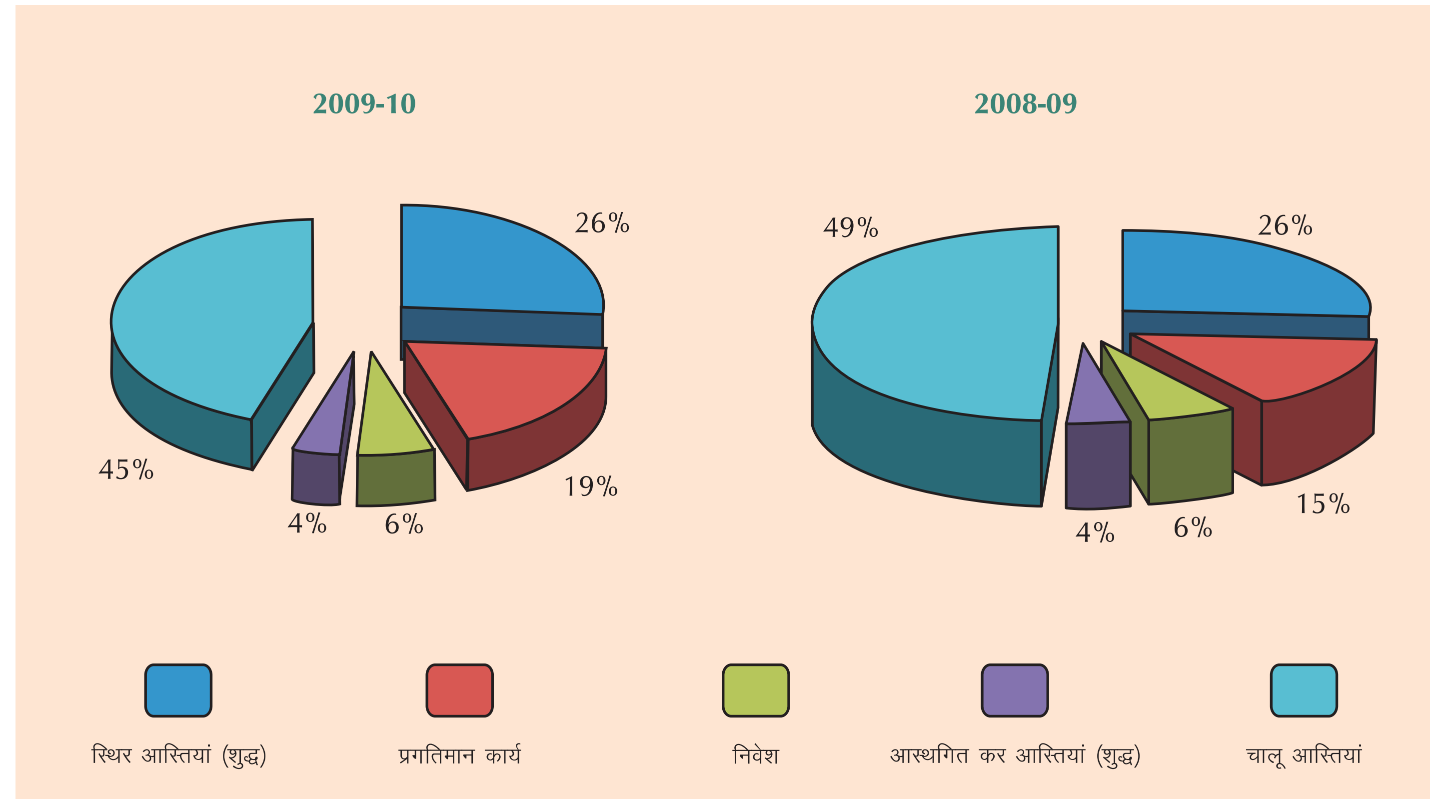

हमारे स्वामित्व में

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2010 को	31 मार्च 2009 को
स्थिर आस्तियां (शुद्ध)	**4,315.97**	3,544.14
प्रगतिमान कार्य	**3,185.94**	1,996.43
निवेश	**921.52**	854.09
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	**572.08**	512.58
चालू आस्तियाँ	**7,288.27**	6,763.18
योग	**16,283.78**	13,670.42

कार्य निष्पादन पर एक दृष्टि

विवरण	इकाई	2009–10	2008–09	2007–08	2006–07	2005–06
धन के स्त्रोत						
प्रदत्त पूंजी	₹ करोड़ में	**623.34**	573.76	501.13	463.63	449.63
अनुदान	"	**158.27**	138.93	13.28	–	–
भारत सरकार से प्राप्त ऋण	"	**49.57**	27.62	17.50	15.00	18.00
अन्य ऋण	"	**622.37**	202.43	43.35	50.28	64.33
आरक्षित और अधिशेष	"	**6,510.97**	5,650.91	5,286.58	4,381.76	3,720.23
योग		**7,964.52**	6,593.64	5,861.84	4,910.67	4,252.19
धन का उपयोग						
स्थिर आस्तियां (मूल्यह्रास घटाकर)	"	**4,315.97**	3,544.14	2,774.25	2,160.51	1,974.89
प्रगतिमान कार्य	"	**3,185.94**	1,996.43	1,380.12	838.55	788.93
निवेश	"	**921.52**	854.09	469.91	157.48	22.12
कार्यशील पूंजी	"	**(1,030.99)**	(313.60)	832.04	1,467.18	1,285.81
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	"	**572.08**	512.58	405.52	286.95	180.44
योग		**7,964.52**	6,593.64	5,861.84	4,910.67	4,252.19
आय और लाभ						
राजस्व	"	**4,615.29**	4,185.95	4,289.21	3,726.23	3,490.46
व्यय	"	**3,386.85**	3,070.23	2,549.84	2,196.90	2,236.03
कर पूर्व लाभ	"	**1,228.44**	1,115.72	1,739.37	1,529.33	1,254.43
कर हेतु प्रावधान	"	**575.65**	535.57	776.07	775.99	595.82
आस्थगित कर देयता (आस्तियां) हेतु प्रावधान	"	**(59.50)**	(107.06)	(118.57)	(106.51)	(59.01)
कर पश्चात् लाभ	"	**712.29**	687.21	1,081.87	859.85	717.62
विनियोजन						
सामान्य कोष	"	**641.62**	517.15	497.23	351.24	331.97
विशिष्ट आरक्षित	"	**218.44**	210.58	331.49	309.16	221.31
लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)	"	**142.50**	137.40	216.38	172.00	143.52
लाभांश पर कर	"	**23.67**	23.35	36.77	27.45	20.82
योग		**1,026.23**	888.48	1,081.87	859.85	717.62
शुद्ध निवेश (शेयर पूंजी+सामान्य कोष+विशेष आरक्षित–आस्थगित राजस्व व्यय)	"	**7,134.31**	6,209.56	5,409.21	4,542.99	3,868.59
नियोजित पूंजी (शुद्ध स्थिर आस्तियां+कार्यशील पूंजी)	"	**3,284.98**	3,230.54	3,606.29	3,627.69	3,260.70
चालू आस्तियां	"	**7,288.27**	6,763.17	7,053.16	6,341.57	5,286.68
चालू दायित्व एवं प्रावधान	"	**8,319.26**	7,076.77	6,221.12	4,874.39	4,000.87
कार्यशील पूंजी	"	**(1,030.99)**	(313.60)	832.04	1,467.18	1,285.81

कार्य निष्पादन पर एक दृष्टि

विवरण	इकाई	2009–10	2008–09	2007–08	2006–07	2005–06
अन्य स्थितियां						
स्थिर आस्तियों में वृद्धि	₹ करोड़ में	**1,479.17**	1,291.45	1,134.80	636.61	510.81
प्रावधान को छोड़कर विविध देनदार	"	**815.35**	827.01	634.47	517.37	495.32
तैनात कर्मचारियों की सं.	संख्या	**18,514**	19,573	19,108	19,545	19,737
विमान संचलन	संख्या '000 में	**1,331**	1,306	1,308	1,075	838
यात्री आवागमन (**)	"	**51,132**	44,262	67,036	57,003	73,340
संभाला गया कार्गो (**)	'000 टन में	**590**	499	748	756	1,404
अनुपात						
शुद्ध निवेशित पूंजी के कर के बाद लाभ	प्रतिशत	**10**	11	20	19	19
विनियोजित पूंजी से कर के पूर्व लाभ	"	**37**	35	48	42	38
विनियोजित पूंजी से कर के बाद लाभ	"	**22**	21	30	24	22
विनियोजित पूंजी पर टर्नओवर	"	**140**	130	119	102	107
चालू अनुपात	अनुपात	**0.88:1**	0.95:1	1.13:1	1.31:1	1.32:1
कुल राजस्व पर कर पूर्व लाभ	प्रतिशत में	**27**	27	41	41	36
कुल राजस्व पर कर पश्चात् लाभ	"	**15**	16	25	23	21
औसत ऋण संग्रह अवधि	दिनों में	**160**	183	167	164	131
प्रति कर्मचारी विमान संचालनों की संख्या	संख्या	**72**	67	68	55	42
प्रति कर्मचारी राजस्व	₹ '000 में	**2493**	2139	2,245	1,906	1,768
प्रति कर्मचारी राजस्व व्यय	"	**1829**	1569	1,334	1,124	1,133
वार्षिक योजना						
योजना परिव्यय	₹ करोड़ में	**2,822.50**	3,377.10	1,961.41	1,506.44	892.30
वास्तविक पूंजी व्यय	"	**2,742.54**	2,547.52	1,980.23	1,040.11	876.08
इस प्रकार वित्त पोषित है :						
उपयोग में लाए गए आंतरिक संसाधन	"	**1,985.64**	2,179.27	1,803.31	990.49	787.82
पूर्वोत्तर परिषद् अनुदान	"	**70.00**	60.00	57.05	7.00	5.00
सरकार से प्राप्त हुई बजटीय सहायता	"	**99.15**	100.25	55.00	29.00	36.00
एमओडी/एपी सरकार से प्राप्त निधि	"	**–**	–	14.87	12.62	46.45
डी.जी.सी.ए. द्वारा वित्त पोषित निधि	"	**9.95**	58.00	50.00	–	–
उधार	"	**550.00**	150.00	–	–	–
अन्य		**27.80**	–	–	1.00	0.81
योग		**2,742.54**	2,547.52	1,980.23	1,040.11	876.08

(**) जेवीसी एवं प्राइवेट हवाई अड्डों को छोड़कर

31 मार्च 2010 को तुलन पत्र

(₹ लाख में)

देयताएं	अनुलग्नक	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
पूंजीगत लेखा	ए	**62,333.65**	57,375.65
आरक्षित एवं अधिशेष			
(i) आरक्षित पूंजी		**1,510.36**	1,510.36
(ii) सामान्य आरक्षित		**4,67,784.55**	4,03,622.77
(iii) अन्य आरक्षित			
स्थायी आस्तियां प्रतिस्थापन आरक्षित		**1,05,920.99**	94,998.62
आरक्षित अप्रचलन		**37,940.67**	32,479.48
आरक्षित आकस्मिकता		**37,940.67**	32,479.48
पूंजीगत अनुदान	बी	**15,826.84**	13,892.81
ऋण	सी		
(i) सुरक्षित		**30,000.00**	–
(ii) असुरक्षित		**37,194.41**	23,004.90
चालू देयताएं एवं प्रावधान			
(i) देयताएं	डी	**2,61,628.07**	2,21,797.07
(ii) प्रावधान	ई	**5,70,297.60**	4,85,880.53
योग		**16,28,377.81**	13,67,041.68

आकस्मिक देयताएं	एस
लेखों पर टिप्पणियाँ	टी
लेखा नीतियां	यू
सेगमेंट इंफॉरमेशन	वी

अनुलग्नक ए से वी तक संलग्न अनुलग्नक बैलेंसशीट पर लाभ–हानि लेखे का अभिन्न हिस्सा हैं

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.07.2010

(एम0 सी0 किशोर)
कार्यपालक निदेशक (निगमित कार्य) एवं कम्पनी सचिव

(शंकर चौधरी)
कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

31 मार्च 2010 को तुलन पत्र

(₹ लाख में)

आस्तियां	अनुलग्नक	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
स्थिर आस्तियां			
(i) सकल ब्लॉक		**10,31,821.24**	8,83,903.82
घटाइए : मूल्य ह्रास		**6,00,224.29**	5,29,490.30
शुद्ध ब्लॉक	एफ	**4,31,596.95**	3,54,413.52
(ii) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य		**3,18,594.15**	1,99,642.88
निवेश	जी	**92,152.40**	85,409.47
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)		**57,207.89**	51,258.15
चालू आस्तियां			
(i) भंडार एवं कलपुर्जे		**6,542.19**	6,480.90
(ii) विविध देनदार	एच	**81,535.28**	82,700.86
(iii) रोकड़ तथा बैंक शेष	आई	**36,206.51**	38,944.36
(iv) निक्षेप, ऋण एवं अग्रिम	जे	**5,83,163.14**	5,25,867.28
(v) निवेशों/निक्षेपों पर प्रोद्भूत ब्याज		**29.64**	3,123.72
(vi) पूर्वदत्त व्यय		**542.58**	553.72
(vii) प्रोद्भूत आय परन्तु देय नहीं		**20,807.08**	18,646.82
योग		**16,28,377.81**	13,67,041.68

(सतीश सी0 छतवाल)
सदस्य (वित्त)

(वी0 पी0 अग्रवाल)
अध्यक्ष

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि लेखा

(₹ लाख में)

व्यय	अनुलग्नक	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
वेतन तथा भत्ते	के	**1,34,420.56**	1,06,016.69
अन्य स्टाफ लागत	एल	**26,862.08**	36,541.83
प्रचालन व्यय	एम	**78,598.90**	75,657.48
अन्य प्रशासनिक एवं फुटकर व्यय	एन	**22,085.64**	18,020.32
मूल्यह्रास		**73,774.66**	62,579.56
वित्तीय प्रभार	ओ	**792.52**	261.80
प्रावधान			
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		**1,689.06**	6,093.73
आयकर के लिए प्रावधान			
a) चालू कर			
(i) निगमित आय कर		**57,500.00**	52,300.00
(ii) अनुषंगी लाभ कर		–	1,200.00
(iii) अन्य		**65.00**	57.00
b) आस्थगित कर		**(5,949.73)**	(10,706.00)
असाधारण व्यय/आय	पी	–	–
पिछली अवधि के समायोजन (शुद्ध)	क्यू	**462.05**	1,851.52
लाभ–हानि विनियोजन लेखा में ले जाया गया शुद्ध लाभ		**71,228.60**	6,8720.51
	योग	**4,61,529.34**	4,18,594.45

वित्त वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा द्वारा पूंजीगत समान, कलपूर्जे, विदेश यात्रा, परामर्शी सेवाओं, विदेशी ऋणों एवं ब्याज चुकाने तथा अन्य पर व्यय 244.39 करोड़ रुपये था।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.07.2010

(एम0 सी0 किशोर)
कार्यपालक निदेशक (निगमित कार्य) एवं कम्पनी सचिव

(शंकर चौधरी)
कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि लेखा

(₹ लाख में)

आय	अनुलग्नक	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
यातायात राजस्व			
मार्ग दिक्चालन सुविधाएं प्रभार		**1,51,025.37**	1,33,995.26
अवतरण शुल्क		**33,231.68**	30,277.66
पार्किंग एवं हाउसिंग शुल्क		**1,095.42**	1,097.84
टर्मिनल दिक्चालन अवतरण प्रभार		**27,232.13**	24,994.37
यात्री सेवा शुल्क		**53,879.47**	46,954.83
गैर यातायात राजस्व			
सार्वजनिक प्रवेश शुल्क		**1,586.60**	1,466.10
व्यापार रियायतें		**33,197.82**	29,882.98
किराया एवं सेवाएं		**23,569.13**	22,383.39
कार्गो राजस्व		**17,624.70**	17,793.82
हवाई अड्डों को पट्टो पर देने से प्राप्त आय		**94,097.18**	82,025.23
अन्य विविध आय	आर	**24,989.84**	27,722.97
	योग	**4,61,529.34**	4,18,594.45

(सतीश सी0 छतवाल)
सदस्य (वित्त)

(वी0 पी0 अग्रवाल)
अध्यक्ष

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि विनियोजन लेखा

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
विनियोजन		
लाभांश		
– अंतरिम	**–**	10,000.00
– प्रस्तावित	**14,250.00**	3,740.00
लाभांश पर कर		
– अंतरिम	**–**	1,699.50
– प्रस्तावित	**2,366.75**	635.61
विशिष्ट आरक्षित को स्थानान्तरित		
स्थिर आस्तियाँ एवजी आरक्षित	**10,922.37**	10,529.00
आकस्मिक आरक्षित	**5,461.19**	5,264.54
अप्रचलन आरक्षित	**5,461.19**	5,264.54
सामान्य आरक्षित को स्थानान्तरित	**64,161.77**	51,714.47
योग	**1,02,623.27**	88,847.67

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि विनियोजन लेखा

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
लाभ–हानि लेखा से लाया गया शुद्ध लाभ	**71,228.60**	68,720.51
विशिष्ट आरक्षित से स्थानान्तरित	**–**	20,127.16
प्रावधानों / अन्य से स्थानांतरित	**31,394.67**	–
योग	**1,02,623.27**	88,847.67

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.07.2010

(एम0 सी0 किशोर)
कार्यपालक निदेशक (निगमित कार्य) एवं कम्पनी सचिव

(शंकर चौधरी)
कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)

(सतीश सी0 छतवाल)
सदस्य (वित्त)

(वी0 पी0 अग्रवाल)
अध्यक्ष

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अनुलग्नक–"ए"

पूंजीगत लेखा

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
1. वर्ष के आरम्भ में शेष	**57,375.65**	50,112.65
2. वर्ष के दौरान वृद्धि	**4,958.00**	7,263.00
योग	**62,333.65**	57,375.65

अनुलग्नक–"बी"

पूंजीगत अनुदान

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
निम्नलिखित से प्राप्त अनुदान		
1. केन्द्रीय सरकार	**13,821.86**	11,288.61
2. अन्य	**2,004.98**	2,604.20
योग	**15,826.84**	13,892.81

अनुलग्नक–"सी"

ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
क. सुरक्षित ऋण		
रुपये 10,00,000/– प्रति मूल्य के 7.40: सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय क्षतिपूर्ति बांड 2013 (श्रेणी 1) जनवरी 22, 2010 को आबंटन की तिथि से तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्षतिपूर्ति के समतुल्य है (बांड समरुपता के आधार पर सुरक्षित है। यह हवाई अड्डा परिसर, अहमदाबाद छावनी, जिसका सर्वे संख्या मौजे सरदारनगर तथा होसूल शहर तालूका पर उपलब्ध गैर–कृषि भूमि को प्रभारित अथवा पार्सल द्वारा दिया जाएगा)	**30,000.00**	–
ख. असुरक्षित ऋण		
(1) अधिनियम की धारा 23(बी) के अधीन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया	**4,957.00**	2,762.00
(2) अन्य		
क. बैंकों से आवधिक ऋण**	**27,780.00**	15,000.00
ख. अन्य ऋण	**400.00**	400.00
ग. विदेशी ऋण		
(1) विदेशी वित्तीय संस्थाओं से (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)	**4,057.41**	4,842.90
योग	**67,194.41**	23,004.90

** अल्पावधि ऋण (एक वर्ष के भीतर देय अथवा प्रतिदेय)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अनुलग्नक–"डी"

चालू देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
निम्नलिखित हेतु देयता :		
माल की आपूर्ति/किये गये कार्य–पूंजी	**33,090.66**	34,332.10
माल की आपूर्ति/किये गये कार्य–राजस्व	**4,541.16**	8,514.91
वेतन एवं भत्ते तथा अनुग्रह राशि	**90,529.09**	38,126.15
भविष्य निधि	**–**	1,478.60
निगम कर	**4,656.74**	3,566.47
प्रेषण प्रतीक्षाधीन वसूलियाँ	**3,166.54**	3,034.59
हितकारी निधि	**1,298.37**	1,602.36
मौसम विभाग व्यय	**4,422.66**	6,209.80
अन्य व्यय	**27,883.76**	29,099.96
फुटकर लेनदार	**1,910.30**	1,331.73
परिसमाप्त क्षतियां	**4,902.18**	3,112.41
एन्टी हाइजैकिंग व्यय	**14,560.90**	12,357.63
लंबित कार्य–कर प्रेषण	**462.87**	519.72
सीआईएसएफ व्यय	**3,785.61**	7,049.18
प्रतिभूति निक्षेप, जमानत जमा निक्षेप	**21,327.17**	14,995.24
प्रोद्भूत ब्याज परन्तु ऋण पर देय नहीं :		
– भारतीय ऋण	**692.90**	143.76
– विदेशी ऋण	**0.11**	0.11
– प्रारम्भिक पूंजी	**–**	16,760.57
अग्रिम रूप से प्राप्त आय किन्तु अदेय	**1,648.65**	2,027.43
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**6,126.74**	4,464.23
निक्षेप कार्यों के लिए निक्षेप	**4,974.89**	3,317.36
विविध जमा राशियां	**4,679.63**	2,752.75
जेवीसी से अपफ्रंट फीस	**26,967.13**	27,000.00
योग	**2,61,628.07**	2,21,797.07

अनुलग्नक–"ई"

प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
कर		
(i) आयकर	**3,74,972.34**	3,17,476.60
(ii) अनुषंगी लाभ कर	**5,900.00**	5,900.00
(iii) अन्य	**74.29**	70.00
प्रस्तावित लाभांश	**14,250.00**	3,740.00
लाभांश पर कर	**2,366.75**	635.61
उपदान व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	**1,28,105.32**	1,13,256.87
अन्य	**44,628.89**	44,801.46
योग	**5,70,297.60**	4,85,880.53

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अनुलग्नक–"एफ"

स्थिर आस्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	मूल्य ह्रास की दर %	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
		1.04.2009 को	स्थानांतरण सहित जोड़े गये	स्थानांतरण सहित समायोजन, विलोपन	31.03.2010 तक	1.04.2009 तक प्रदत्त	वर्ष के दौरान प्रदत्त	विक्रय / स्थानांतरण का समायोजन	कुल 31.03.2010 तक	31.03.2010 को	31.03.2009 को
भूमि											
फ्रीहोल्ड		17,055.56	2,729.40	55.87	**19,729.09**	–	–	–	**–**	**19,729.09**	17,055.56
लीज़होल्ड		139.30	–	–	**139.30**	13.61	1.87	–	**15.48**	**123.82**	125.69
धावन पथ, टैक्सीपथ, एप्रन, सड़के, पुल और पुलिया	13.00	2,18,302.67	48,664.37	119.13	**2,66,847.91**	1,32,619.80	24,136.59	25.00	**1,56,731.39**	**1,10,116.52**	85,682.87
फ्रीहोल्ड भवन											
क) टर्मिनल / अन्य भवन	8.00	17,7911.00	43,966.41	3465.63	**2,18,411.78**	82,262.40	15,224.51	1,418.33	**96,068.58**	**1,22,343.20**	95,648.60
ख) अस्थायी भवन	100.00	2,378.68	201.51	59.04	**2,521.15**	2,377.30	201.51	59.04	**2,519.78**	**1.37**	1.37
ग) रिहायशी	5.00	21,276.29	1,017.52	446.82	**21,846.98**	7,141.56	1,063.79	183.65	**8,021.70**	**13825.28**	14,134.73
घ) अन्य	8.00	12,911.35	1,804.80	253.01	**14,463.14**	7,942.76	854.75	6.76	**8,790.75**	**5672.38**	4,968.59
लीज़होल्ड भवन	8.00	304.49	–	–	**304.49**	304.49	–	–	**304.49**	**–**	–
सुरक्षा फेंसिंग	100.00	3,716.54	233.03	–	**3,949.57**	3,716.54	233.03	–	**3,949.57**	**–**	–
बाउन्ड्री वाल (प्रचालन)	8.00	15,735.63	2,526.70	92.29	**18,170.05**	6,061.01	1,445.75	2.93	**7,503.83**	**10,666.21**	9,674.62
बाउन्ड्री वाल (रिहायशी)	5.00	757.42	34.41	–	**791.83**	203.67	41.31	–	**244.98**	**546.85**	553.76
संयंत्र और मशीनरी	11.00	1,75,233.10	9,679.88	480.81	**1,84,432.17**	1,31,375.44	9102.03	309.32	**1,40,168.15**	**44,264.02**	43,857.66
औजार एवं उपस्कर											
एक्स–रे बैगेज मशीनें	11.00	23,993.17	1,639.50	147.87	**25,484.79**	12385.81	2290.55	131.75	**14,544.61**	**10,940.18**	11,607.36
अन्य	20.00	11,188.01	1,716.31	88.87	**12,815.45**	9596.58	1049.29	61.17	**10,584.70**	**2,230.75**	1,591.43
फर्नीचर और फिक्चर	20.00	12,746.21	840.17	81.31	**13,505.08**	9899.65	1246.00	77.85	**11,067.81**	**2,437.27**	2,846.55
कम्प्यूटर आई टी हार्डवेयर एवं एक्सेसरीज	20.00	11,221.14	2,147.15	61.26	**13,307.03**	9209.30	1413.13	36.67	**10,585.77**	**2,721.26**	2,011.84
अमूर्त परिसंपत्तियां–कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	20.00	2,876.71	298.77	–	**3,175.48**	1168.80	665.19	–	**1,833.99**	**1,341.50**	1,707.91
वाहन											
क्रैश फायर टेंडर व फायर फाइटिंग उपस्कर	13.00	23,668.00	8,503.33	231.25	**31,940.08**	16832.89	2595.57	214.51	**19,213.95**	**12,726.12**	6,835.10
अन्य	14.00	6,364.02	409.63	215.05	**6,558.60**	4751.90	475.05	147.91	**5,079.04**	**1,479.57**	1,612.12
विमान	10.00	14,625.57	–	–	**14,625.57**	8885.16	908.36	–	**9,793.52**	**4,832.05**	5,740.40
विद्युत प्रतिष्ठान	11.00	1,28,555.62	29,290.94	2162.60	**1,55,683.97**	80327.02	11955.65	1,707.66	**90,575.00**	**65,108.96**	48,228.60
अन्य कार्यालय उपकरण	18.00	2,932.97	185.95	11.54	**3,107.38**	2404.24	223.04	10.43	**2,616.85**	**490.53**	528.74
पुस्तकालय हेतु पुस्तकें	100.00	10.36	–	–	**10.36**	10.36	–	–	**10.36**	**–**	–
योग		**8,83,903.82**	**1,55,889.76**	**7,972.35**	**10,31,821.24**	**5,29,490.30**	**75,126.96**	**4,392.97**	**6,00,224.29**	**4,31,596.95**	**3,54,413.52**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**7,54,758.85**	**1,62,556.11**	**33,411.10**	**8,83,903.82**	**4,77,334.46**	**63,536.22**	**11,380.38**	**5,29,490.30**	**3,54,413.52**	

उपर्युक्त परिसम्पत्तियों में से, परिसम्पत्तियां (सकल ब्लॉक ₹ 2172.81 लाख एवं शुद्ध ब्लॉक / शुद्ध वसूलनीय मूल्य–₹ 3.15 लाख) अर्थात् संयंत्र तथा उपस्कर (सकल ब्लॉक–₹ 1332.80 लाख तथा शुद्ध ब्लॉक / शुद्ध वसूली योग्य–₹ 0.00 लाख), औजार तथा संयंत्र (सकल ब्लॉक– ₹ 37.74 लाख तथा शुद्ध ब्लॉक / शुद्ध वसूली योग्य–₹ 0.00 लाख़) सीएफटी के अतिरिक्त अन्य वाहन (सकल ब्लॉक– ₹ 76.76 लाख तथा शुद्ध ब्लॉक / शुद्ध वसूली योग्य–₹ 1 लाख), वाहन कार / जीप (सकल ब्लॉक– ₹ 28.26 लाख तथा शुद्ध ब्लॉक / शुद्ध वसूली योग्य–₹ 1 लाख़), वैद्युत प्रतिष्ठान (सकल ब्लॉक– ₹ 269.89 लाख तथा शुद्ध ब्लॉक / शुद्ध वसूली योग्य–₹ 0.85 लाख़), फर्नीचर एवं फिक्सचर (सकल ब्लॉक ₹ 13.70 लाख तथा शुद्ध ब्लॉक / शुद्ध वसूली योग्य 0.30 लाख) अन्य कार्यालय उपकरण (सकल ब्लाक–₹ 1.23 लाख तथा शुद्ध ब्लाक / शुद्ध वसूली योग्य 0.00 लाख), एक्स–रे बैगेज (सकल ब्लॉक– ₹ 241.50 लाख तथा शुद्ध ब्लॉक / शुद्ध वसूली योग्य–0.00 लाख), अग्निशमन उपकरण एवं सी एफ टी (सकल ब्लॉक ₹ 170.92 लाख तथा शुद्ध ब्लॉक / शुद्ध वसूली योग्य 0.00 लाख), सक्रिय उपयोग में नहीं है। इस प्रकार की आस्तियों पर लेखा पुस्तिकाओं में मूल्यह्रास की कटौती नहीं की गयी है।

अनुलग्नक–"जी"

निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
दीर्घावधि निवेश (लागत पर)		
क. व्यापार निवेश (उद्धृत नहीं) संयुक्त उद्यम कम्पनियों में		
हैदराबाद इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एच आई ए एल) की शेयर पूंजी में इक्विटी अंशदान (रुपये 10/– प्रति मूल्य के पूर्ण भुगतान किए गए 4,91,40,000 इक्विटी शेयर)	**4,914.00**	4,914.00
बैंगलौर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बी आई ए एल) की शेयर पूंजी में इक्विटी अंशदान (रुपये 10/– प्रति मूल्य के पूर्ण भुगतान किए गए 4,99,98,000 इक्विटी शेयर)	**4,999.80**	4,999.80
दिल्ली इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डी आई ए एल) की शेयर पूंजी में इक्विटी अंशदान (रुपये 10/– प्रति मूल्य के पूर्ण भुगतान किए गए 31,20,00,000 इक्विटी शेयर व शेष शेयर एप्लिकेशन राशि आबंटन हेतु लंबित है)	**63,700.00**	63,700.00
मुम्बई इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एम आई ए एल) की शेयर पूंजी में इक्विटी अंशदान (रुपये 10/– प्रति मूल्य के पूर्ण भुगतान किए गए 15,60,00,000 इक्विटी शेयर)	**15,600.00**	10,400.00
नेशनल फ्लाइंग स्कूल (गोंदिया) की शेयर पूंजी में इक्विटी अंशदान (रुपये 10/– प्रति मूल्य के पूर्ण भुगतान किए गए 2,09,77,891 इक्विटी शेयर)	**2,097.79**	1,044.86
मिहान इंडिया प्रा. लि. की शेयर पूंजी में इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन धन के लिए)	**490.00**	-
ख. गैर व्यापारिक निवेश – अन्य (उद्धृत नहीं)		
आई डी बी आई की निवेश जमा खाता योजना 1986	**350.81**	350.81
योग	**92,152.40**	85,409.47

अनुलग्नक–"एच"

विविध देनदार

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
विविध देनदार		
(1) 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	**1,02,743.86**	1,01,720.62
(2) अन्य	**40,961.28**	43,342.01
कुल योग	**1,43,705.14**	1,45,062.63
घटा : डूबी एवं संदिग्ध रकम हेतु प्रावधान	**62,169.86**	62,361.77
विविध देनदारी (शुद्ध)	**81,535.28**	82,700.86
विविध देनदारों के विवरण		
(क) ऋण जो खरे हैं तथा जिनके प्रति प्राधिकरण पूर्णतः प्रतिभूत है।	**39,048.48**	38,211.52
(ख) ऋण जो विश्वसनीय हैं तथा जिनके लिए प्राधिकरण के पास देनदार की निजी जमानत के अतिरिक्त कोई प्रतिभूति नहीं है	**42,486.80**	44,489.34
(ग) ऋण जो खरे नहीं हैं तथा जिनका प्रावधान किया गया है।	**62,169.86**	62,361.77
योग	**1,43,705.14**	1,45,062.63

अनुलग्नक–"आई"

रोकड़ तथा बैंक शेष

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
रोकड़ एवं स्टैम्प्स	**94.12**	85.67
हस्तगत चैक	**6,468.02**	676.55
मार्गस्थ प्रेषण	**872.99**	133.18
बैंकों में अवधि जमा		
(i) एक वर्ष तक जमा	**569.37**	15,622.22
(ii) एक वर्ष से अधिक तक जमा	**–**	–
चालू खातें में बैंक शेष	**28,037.59**	22,160.57
विदेशी मुद्रा विनियम अर्जन खाता	**164.43**	266.17
योग	**36,206.51**	38,944.36

नोट :

1. अनुसूचित बैंकों के चालू खातों, कॉल खातों तथा निक्षेप खातों में शेष राशि ₹ 28,771.39 लाख है।

2. अनुसूचित बैंक के अलावा अन्य बैंकरों के नाम के विवरण तथा प्रत्येक के पास चालू खाते, कॉल खाते में शेष राशि तथा प्रत्येक बैंकर के पास वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष राशि निम्नानुसार है :– शून्य

3.. उपर्युक्त (2) में उल्लिखित बैंकरों (अनुसूचित बैंकों से अन्य) के किसी सदस्य अथवा रिश्तेदार के हित यदि कोई हो :– शून्य

अनुलग्नक–"जे"

निक्षेप, ऋण एवं अग्रिम

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
स्टाफ को अग्रिम	**27,706.42**	33,916.99
खरीद हेतु अग्रिम	**862.41**	579.28
अन्य अग्रिम	**43,066.97**	52,573.13
अग्रिम आयकर		
(i) निगमित आय कर	**1,04,325.23**	1,19,125.65
(ii) अनुषंगी लाभ कर	**6,268.62**	6,268.62
(iii) अन्य	**7,630.96**	7,630.96
स्त्रोत पर कर कटौती	**3,40,295.10**	2,92,067.25
राज्य विद्युत बोर्ड के पास जमा	**7,486.57**	7,072.08
अन्य निक्षेप	**45,520.84**	6,633.32
योग	**5,83,163.14**	5,25,867.28
निक्षेप, ऋण एवं अग्रिमों का विवरण :		
(क) निक्षेप, ऋण व अग्रिम जो विश्वसनीय हैं तथा जिनके प्रति प्राधिकरण पूर्णतः सुरक्षित है।	**73,891.07**	76,292.50
(ख) निक्षेप, ऋण एवं अग्रिम जो विश्वसनीय हैं तथा जिनके लिए प्राधिकरण के पास देनदार की निजी जमानत के अतिरिक्त कोई प्रतिभूति नहीं है।	**5,09,209.44**	4,49,512.15
ग) निक्षेप, ऋण एवं अग्रिम जो संदेहास्पद हैं तथा जिनका प्रावधान किया है।	**62.63**	62.63

नोट : वर्ष के दौरान सदस्यों तथा अध्यक्ष को स्वीकृत ऋण एवं अग्रिम निम्नानुसार हैं :–

(i) 31.03.2010 को अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा देय ऋण/अग्रिम व पेशगियां शून्य रुपये।

(ii) वर्ष के दौरान किसी भी समय सदस्यों/अध्यक्ष से अधिकतम देय राशि शून्य रुपये।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अनुलग्नक–"के"

वेतन और भत्ते

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
वेतन और भत्ते	**1,17,829.18**	84,239.63
भविष्य निधि अंशदान	**7,861.74**	7,177.65
ग्रेच्युटी	**3,819.91**	21,812.62
समयोपरि भत्ता	**3,683.11**	4,912.55
उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन/अनुग्रह राशि	**2,563.76**	2,193.54
अन्य खर्चे	**24.18**	52.76
घटा : जेवीसी से प्रचालन सहायता लागत की वसूली	**(1,361.33)**	(14,372.06)
योग	**1,34,420.56**	1,06,016.69

अनुलग्नक–"एल"

अन्य स्टाफ लागत

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	**6,788.84**	6,420.40
ईंधन /वाहन प्रतिपूर्ति	**3,794.79**	4,122.86
मानव संसाधन	**961.19**	940.82
यूनीफार्म / वर्दी	**1,794.26**	1,080.68
अवकाश यात्रा रियायत	**1,727.14**	2,119.25
कैन्टीन सहायता खर्च	**1,952.73**	1,831.33
आवासीय भवन का किराया	**252.81**	527.73
अन्य खर्चे	**10,161.55**	23,886.54
घटा : जेवीसी से प्रचालन सहायता लागत की वसूली	**(571.22)**	(4,387.78)
योग	**26,862.08**	36,541.83

अनुलग्नक–"एम"

प्रचालन व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
मरम्मत एवं रख–रखाव		
– सिविल कार्य	**12,202.58**	12,265.32
– विद्युत कार्य	**6,211.49**	5,827.17
– वाहन	**1,343.16**	2,029.14
– संयंत्र एवं मशीनें	**250.88**	101.10
– इलेक्ट्रॉनिकी	**1,159.20**	7,775.23
– उपकरणों	**102.49**	149.16
भंडार एवं कलपूर्जों का उपभोग	**2,075.75**	2,306.61
विद्युत एवं जल प्रभार		
सकल प्रभार	**14,477.88**	13,705.63
घटा : वसूली	**(2,105.15)**	(2,614.52)
किराया, दर एवं कर	**696.29**	702.70
बीमा किस्त	**223.50**	228.08
विज्ञापन एवं प्रचार	**543.88**	1,376.67
निगम कर	**2,355.95**	801.69
मौसम–विज्ञान संबंधी प्रभार	**4,543.97**	4,983.77
सुरक्षा व्यय		
(क) सी आई एस एफ पर व्यय	**30,511.04**	22,434.57
(ख) राज्य पुलिस एवं अन्य पर व्यय	**2,309.45**	2,825.28
अन्य प्रचालन खर्चे	**1,696.54**	759.88
योग	**78,598.90**	75,657.48

अनुलग्नक–"एन"

अन्य प्रशासनिक एवं विविध व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
निगमित कार्यालय का निम्नलिखित पर व्यय :		
(i) मरम्मत एवं रख–रखाव	**678.15**	817.10
(ii) बीमा किस्त	**130.08**	424.05
(iii) विद्युत एवं जल प्रभार	**165.49**	155.91
(iv) किराया, दर एवं कर	**2.38**	8.66
(v) विज्ञापन एवं प्रचार	**264.61**	1,105.35
बोर्ड के सदस्यों का पारिश्रमिक	**66.83**	55.52
कानूनी व्यय	**362.20**	328.65
लेखा परीक्षा शुल्क	**374.07**	374.10
परामर्शी सेवाएं	**1.01**	104.58
डोनेशन	**–**	82.86
डाक, तार, एवं टेलेक्स प्रभार इत्यादि	**65.78**	72.03
टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट प्रभार इत्यादि	**1,527.63**	1,952.88
मुद्रण और स्टेशनरी	**570.32**	613.77
लीज किराया	**24.67**	90.11
प्रदत्त सेवाओं के लिए अन्य को दिया गया शुल्क	**887.72**	1,109.27
प्रशिक्षण खर्चे	**404.88**	536.44
भाड़ा प्रभार	**75.64**	45.23
यात्रा संबंधी खर्चे	**3,520.68**	4,458.16
अनुसंधान एवं विकास–विमानपत्तन विकास	**60.63**	60.52
बेची गई या रद्दी की गई आस्तियों पर हानि	**499.94**	5.02
विविध व्यय	**12,414.34**	5,646.78
घटा : जेवीसी से प्रचालन सहायता लागत की वसूली	**(11.41)**	(26.67)
योग	**22,085.64**	18,020.32

अनुलग्नक–"ओ"

वित्तीय प्रभार

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
ब्याज :		
(i) दीर्घकालीन ऋणों पर	**480.87**	148.77
(ii) अल्पावधि ऋण / नकद ऋण	**311.65**	113.03
योग	**792.52**	261.80

अनुलग्नक–"पी"

असाधारण व्यय/आय

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
व्यय	–	–
आय	–	–
योग	–	–

अनुलग्नक–"क्यू"

पिछली अवधि के समायोजन (शुद्ध)

(₹ लाख में)

विवरण		चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
व्यय			
वेतन और भत्ते		**(1,643.65)**	2.67
अन्य कर्मचारी लागत		**3.50**	(74.69)
प्रचालन व्यय		**901.89**	166.91
अन्य प्रशासनिक व विविध व्यय		**(335.86)**	(57.73)
मूल्यह्रास		**1,316.77**	926.15
फाइनेसिंग चार्ज		**–**	10.21
	कुल योग	**242.65**	973.52
आय			
ट्रेफिक राजस्व			
मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभार		**31.84**	(79.91)
अवतरण शुल्क		**(32.28)**	0.97
पार्किंग तथा हाउसिंग फीस		**(5.33)**	(4.23)
टर्मिनल दिक्चालन अवतरण प्रभार		**(151.45)**	11.36
यात्री सेवा शुल्क		**7.96**	(392.61)
	योग	**(149.25)**	(464.43)
गैर ट्रैफिक राजस्व			
व्यापारिक छूट		**(144.58)**	(282.91)
किराया व सेवाएं		**144.09**	34.88
	योग	**(0.48)**	(248.03)
कार्गो राजस्व		**10.20**	(1.14)
अन्य विविध आय		**(79.87)**	(164.40)
	कुल विविध आय	**(69.67)**	(165.54)
	कुल योग	**(219.40)**	(878.00)
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)		**462.05**	1,851.52

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अनुलग्नक–"आर"

अन्य विविध आय

(₹ लाख में)

विवरण		चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
आवधिक जमा पर ब्याज		**734.93**	9,220.28
परामर्शी सेवाओं से आय		**601.61**	71.09
कार पार्किंग		**3,558.60**	3,480.48
प्रयोगकर्ता विकास शुल्क		**552.02**	--
परित्यक्त सामान सुविधाएं		**16.27**	15.54
स्थिर आस्तियों की बिक्री पर लाभ		**245.46**	176.33
कर्मचारी पेशगियों पर ब्याज		**708.16**	562.98
ब्याज से अन्य आय		**885.97**	2,617.20
विविध आय		**17,686.82**	11,579.08
	योग	**24,989.84**	27,722.97

अनुलग्नक–"एस"

आकस्मिक देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण		चालू वर्ष 2009–10	पिछला वर्ष 2008–09
दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है :			
1. भूमि संबंधी मामले		**21,896.76**	16,217.06
2. दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति के दावे		**3,910.10**	1,952.88
3. माध्यस्थम मामले		**45,332.77**	40,578.58
4. कार्गो संबंधी दावे		**1,002.54**	1,002.54
5. न्यायालयीन मामले		**5,341.70**	5,603.73
6. बिक्री कर/निगम कर/आयकर आदि		**66,571.14**	62,169.98
7. अन्य		**8,885.68**	8,319.28
	योग	**1,52,940.69**	1,35,844.05

अनुलग्नक-"टी"

लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. लेखों का प्रारूप

भारत सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों का विवरण) नियम 2008 के अधीन दिनांक 12 जून, 2008 को अधिसूचित अधिसूचना सं0 800 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार लेखा प्रस्तुत किया गया है ।

2. भूमि

(i) प्राधिकरण के स्वामित्व में 49988 एकड़ भूमि है जिसमें कार्व्ड आउट आस्तियों को छोड़कर सी एस आई, मुंबई हवाई अड्डा (2040 एकड़) और आई जी आई, नई दिल्ली हवाई अड्डा (5296 एकड़) की भूमि शामिल है जिन्हें संयुक्त उद्यम कम्पनियों को पट्टे पर सौंप दिया गया है यथा आई जी आई (दिल्ली) पर दिल्ली इन्टरनेशनल एयरपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड (डी आई ए पी एल) को और सी एस आई (मुंबई) हवाई अड्डा पर मुंबई इन्टरनेशनल एयरपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड (एम आई ए पी एल) को । सी एस आई, मुंबई सहित, भूमि के कुछ भाग (लगभग 837.79 एकड़), विभिन्न हवाई अड्डों पर अतिक्रमण के अधीन है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में स्वामित्व अधिकार पत्र हस्तांतरित करने के साथ ही भूमि रिकार्डो के संकलन तथा भूमि अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी है।

(ii) रक्षा मंत्रालय तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य विभिन्न हवाई अड्डों की भूमि हस्तांतरित करने के संबंध में नियम व शर्तों का निर्धारण अभी किया जाना है । आई जी आई हवाई अड्डा, दिल्ली पर 56.78 एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय से ली गई थी और रक्षा मंत्रालय ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ₹ 53.61 करोड़ के भुगतान का दावा किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने ₹ 2 करोड़ का भुगतान कर दिया है। शेष राशि ₹ 51.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 51.61 करोड़) को आकस्मिक देनदारी के अधीन दिखाया गया है ।

(iii) चेन्नई हवाई अड्डे के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु 5154.50 वर्ग मीटर भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रदान की गई तथा इसके लिए देय क्षतिपूर्ति पर सहमति बनाने व इसे निर्धारित करने का काम अभी शेष है। इसका निर्धारण हो जाने के बाद इसे लेखे में शामिल कर लिया जाएगा।

3. मूल्यह्रास

मूल्य–ह्रास, अचल आस्ति सूची में दर्शाई गई दरों के अनुसार तकनीकी व उपयोगी जीवनावधि के आधार पर अचल आस्तियों पर लगाया जाता है।

4. आई जी आई (दिल्ली) और सी एस आई (मुंबई) हवाई अड्डों का प्रचालन, प्रबंधन एवम् विकास

(i) आई. जी. आई. हवाई अड्डा दिल्ली तथा सी एस आई हवाई अड्डा मुंबई के प्रचालन, प्रबंधन एवम् विकास का कार्य दिनांक 3 मई, 2006 से दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (डी आई ए पी एल) तथा मुंबई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (एम आई ए पी एल) को 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर और 30 वर्ष की अवधि तक बढाए जाने हेतु सौंपा गया है। अचल आस्तियां पट्टे पर डी आई ए पी एल तथा एम आई ए पी एल को दी गई हैं तथा उन्हें "अचल आस्तियों" के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

आस्तियों के संयुक्त पूंजी निवेश के संबंध में प्रचालन, प्रबंधन व विकास समझौते (ओ एम डी ए) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई है। इन आस्तियों के मूल्यह्रास की गणना इस प्रकार की आस्तियों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्यह्रास नीति के अनुसार ही की गई है ।

(ii) मुंबई हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की परिसम्पत्तियों को (सकल ब्लाक ₹ 37.91 करोड़) मै. एम.आई.ए.पी.एल द्वारा ध्वस्त / निपटान किया गया। इसकी वजह से वर्ष के दौरान ₹ 4.84 करोड़ की धनराशि को स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि के रूप में दर्शाया गया है तथा संचित मूल्यह्रास सहित समस्त ब्लाक को खाता बही से वापस ले लिया गया है ।

(iii) डी आई ए पी एल (₹ 538.92 करोड़) तथा एम आई ए पी एल (₹ 391.68 करोड़) से ₹ 930.60 करोड़ के राजस्व भाग को "हवाई अड्डों की लीजिंग से आय" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

(iv) 3 साल की अवधि का प्रचालन समर्थन समय दिनांक 2 मई 2009 को समाप्त हो गया। वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा उन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति क्षतिपूर्ति के लिए ₹ 234.23 करोड़ (₹ 511.74 करोड़ हेतु किए गए अनंतिम दावे के लिए) की धनराशि का

भुगतान किया गया, जिन्होंने ओमडा की शर्तों के अनुसार आमेलन के विकल्प को नहीं चुना। ₹ 277.51 करोड़ की बकाया धनराशि को संयुक्त उद्यम कंपनियों से वसूले जाने हेतु शेष के रूप में दर्शाया गया है । इस धनराशि को वेतन एवं भत्ते, सेवानिवृत्ति तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति संबंधी भुगतान के लिए निर्धारित किया जा रहा है।

(v) सेवा कर विभाग ने दिनांक 1.06.2009 को जारी मांग – सह – कारण बताओ नोटिस द्वारा 3 मई, 2006 से 31 मार्च, 2009 तक ओ एम डी ए के अधीन "नामाधिकार सेवा" शीर्ष के अन्तर्गत किए गए करार के अनुसार डी आई ए पी एल और एम आई ए पी एल से प्राप्त वार्षिक कर एवं अपफ्रंट राशि के रूप में ₹ 288.53 करोड़ सेवा कर की मांग की है। तथापि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा डी आई ए पी एल और एम आई ए पी एल से वार्षिक शुल्क पर सेवा कर प्राप्ति की अनुप्रयोज्यता पर) रोक आदेश दिया हुआ है।

यह मामला अभी भी दिल्ली उच्च न्यायालय में लबिंत है।

(vi) भारत सरकार (जी.ओ.आई.) तथा डी आई ए पी एल व एम आई ए पी एल के मध्य निष्पादित हुए राज्य सहयोग समझौते के प्रावधानों के अनुसार, ओ एम डी ए के निरस्त होने या समाप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरणीय आस्तियों तथा अहस्तांतरणीय आस्तियों की खरीद के संबंध में जे वी सी को भुगतान करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दायित्व के संबंध में भारत सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जे वी सी को गारंटी उपलब्ध कराई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारत सरकार को प्रति गारंटी दी है।

5. राजस्व

(i) हवाई अड्डा प्रभारों में वृद्धि की वजह से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स एवं प्राधिकरण के बीच हुए मध्यस्थ निर्णय को स्वीकार करने के परिणामस्वरुप भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा परिकलित ₹ 127 करोड़ की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान अशोध्य ऋण के रूप मे बट्टे खाते में डाल दिया गया था । इसी प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 66.45 करोड़ की धनराशि को अशोध्य ऋणों के रुप में खाता बही में बट्टे खाते में डाला गया है।

(ii) इंडियन एयरलाइंस के अतिरिक्त अन्य एयरलाइन से यात्री सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय को उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए यात्री डाटा के आधार पर बुक किया गया है। इंडियन एयरलाइंस के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों के आधार पर उसको परिगणित किया गया।

(iii) नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 10 नवम्बर 2009 के पत्र सं0 जी 17018 / 001 / 2009 – ए.ए.आई. के अनुसार जयपुर हवाई अड्डे पर दिनांक 1.1.2010 से प्रयोक्ता विकास शुल्क (यूजर डवलपमेंट फीस) लगाया गया है । इस शुल्क के रुप में प्रत्येक बार अंतर्देशीय यात्रियों से ₹ 150 / – तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से ₹ 1,000 / –(सेवा कर सहित) लिए जाने का प्रावधान है । इसे विविध आय शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है ।

6. व्यय

कर्मचारियों का वेतन संशोधन दिनांक 1.1.2007 से बकाया था। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर वर्ष के दौरान कार्यपालक श्रेणी का वेतन संशोधन अनुमोदित किया गया । चूंकि वेतन संशोधन को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, अतः गैर कार्यपालक कर्मचारियों को देय वेतन एवं भत्तों के बकाये तथा कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक कर्मचारियों को देय अनुलब्धियों (पर्क्स) के लिए देयता के रूप में वर्तमान वर्ष के दौरान ₹ 286 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई।

7. सेवा कर

(i) दिनांक 1.5.2006 से 31.3.2009 की अवधि के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा सेवाओं पर सेवा कर लगाए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय के निर्णय के लम्बित होने के कारण उक्त अवधि के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा न तो सेवा कर का बिल बनाया गया और न ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उसका भुगतान किया गया तथा लेखों में इस संबंधी कोई प्रविष्टि नहीं की गई क्योंकि सरकार के प्रति अपनी सम्पूर्ण सेवा कर देयता को चुकाने से पूर्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस प्रकार भुगतान किए गए सेवा कर की सम्पूर्ण राशि को सेनवैट (सी ई एन वी ए टी) क्रेडिट के रूप में दावा करने का हकदार होगा।

(ii) "अचल सम्पत्ति को किराए पर देने संबंधी सेवाएं "दिनांक 1.6.2007 से प्रारंभ की गई। 18.4.2009 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किराए पर देना (रेटिंग) स्वतः उक्त श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तदनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किराया, लाइसेंस शुल्क आदि पर सेवा कर का भुगतान करना बंद कर दिया । वित्त अधिनियम 2010 द्वारा संबंधित धारा मे संशोधन हुआ है ।

संशोधन के अनुसार किराए पर देने (रेटिंग) को पूर्वव्यापकता से दिनांक 1.6.2007 से विशेष तौर पर इसमें शामिल कर लिया गया है। इसे सेवा कर अधिसूचना सं. 24/2010 दिनांक 22 जून 2010 के अनुसार दिनांक 1.7.2010 से लागू कर दिया जाएगा। अप्रत्यक्ष कर होने के नाते सेवा कर का वहन सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए, इसलिए सेवा कर देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि यह सेवा प्राप्तकर्ता से वसूला जाएगा।

8. (क) ए.एस. 15 (संशोधित) के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन (डिसक्लोजर) नीचे दिया गया है –

(i) निश्चित अंशदान योजना –भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पूर्व निश्चित दरों से भविष्य निधि में एक अलग न्यास (ट्रस्ट) को निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। न्यास (ट्रस्ट) इस निधि (फंड) को स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। संबंधित अवधि के लिए निधि (फंड) में किए गये अंशदान को व्यय के रुप में लिया जाता है तथा इसे लाभ – हानि खाता में प्रभारित किया जाता है।

(ii) परिभाषित लाभ योजना :

क) छुट्टीः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ तथा अर्द्धवैतनिक छुट्टी प्रदान करता है जो क्रमशः 30 दिनों तथा 20 दिनों के रूप में हर वर्ष जमा होती है। सेवा के दौरान छुट्टी भुनाने के समय 30 दिनों की अवशिष्ट छुट्टी रखकर बाकी अर्जित छुट्टी भुनाई जा सकती है तथा सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिनों की अर्जित छुट्टी भुनाई जा सकती है। अधिवर्षिता पर अर्ध– वेतन छुट्टी जितनी भी बाकी हो उसे भुनाने दिया जाएगा। इस की देयता बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ख) सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा सुविधाएं : सेवानिवृत्त कर्मचारी की न्यूनतम 10 वर्षो की निरंतर सेवा के अधीन एक बार के निर्धारित अंशदान के भुगतान पर सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उसकी पत्नी/पति को चिकित्सा सुविधाएं दी जाती है। यह योजना स्वैच्छिक है।

ग) ग्रेच्युटी : ग्रेच्युटी 5 वर्षो की लगातार सेवा के अधीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर दी जाती है। इसकी दिनांक 24.5. 2010 से प्रभावी उच्चतम सीमा 3.50 लाख से 10 लाख तक बढा दी गई है। हालांकि इसे 01.1.2007 से लागू करने के लिए डी पी ई को लिखा गया है।

घ) हितकारी निधि योजना : सेवा के दौरान ₹ 26 प्रतिमाह के अंशदान पर प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तिथि से 5 वर्षो के लिए प्रतिमाह ₹ 1560 की राशि प्राप्त करने हेतु पात्र है।

ड) सेवानिवृत्ति के पश्चात समाधान लाभ : सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी (तथा आश्रित) अपने पसंदीदा स्थान पर रहने हेतु पात्र है। वे स्थानान्तरण पर कार्यरत कर्मचारी के लिए लागू स्थानान्तरण यात्रा भत्ते के भी पात्र हैं।

परिभाषित लाभ दायित्वों के संबंध में ''कर्मचारी लाभों'' पर लेखा मानकों (ए एस) –15 (परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित डिस्क्लोजर इस प्रकार हैं:–

₹ करोड़ में

क्रम संख्या	विवरण	ग्रेच्युटी	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति उपरांत समाधान लाभ
1.	वर्ष के आरंभ में देनदारियां**	590.34	143.17	91.10
2.	ब्याज लागत	47.22	11.00	7.06
3.	चालू सेवा लागत	19.82	31.11	1.38
4.	भुगतान किए गए लाभ	(34.96)	(6.45)	(0.35)
5.	एक्चूरियल लाभ (–)/ हानियां(+)	(23.16)	(32.46)	(2.95)
6.	वर्ष के अंत में देनदारियां**	599.26	146.37	96.24

**भारतीय जीवन बीमा निगम के पास उपलब्ध निधियों सहित

(ख) संबंधित पार्टी प्रकटन

संबंधित पार्टियाँ

(i) संयुक्त उद्यम :

दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (डी आई ए पी एल), मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (एम आई ए पी एल), हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (एच आई ए एल), बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (बी आई ए एल) , राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, गोंडिया (एन एफ टी आई पी एल), मिहान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चण्डीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक : श्री वी.पी. अग्रवाल, अध्यक्ष, श्री पी. सेठ, सदस्य (प्रचालन), श्री एस.सी. छतवाल, सदस्य (वित्त), श्री के.के. झा, सदस्य (कार्मिक व प्रशासन), श्री एस. रहेजा, सदस्य (योजना)

(iii) उपर्युक्त ए (i) पर संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन इस प्रकार है:–

₹ करोड़ में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2009–10	वित्तीय वर्ष 2008–09
जे वी सी से वार्षिक शुल्क		
डी आई ए एल	538.92	445.63
एम आई ए एल	391.68	374.62
वर्ष के दौरान किया गया इक्विटी अंशदान		
डी आई ए एल'	–	312.00
एम आई ए एल	52.00	52.00
एच आई ए एल	–	10.39
बी आई ए एल	–	–
एनएफटीआईपीएल, गोडिया^^	10.53	10.35
(^^डाइलूशन के पश्चात् वित्तीय वर्ष 09 –10 में दर्शाई गई राशि)		
मिहान प्राइवेट लिमिटेड* (*शेयर आवेदन मुद्रा)	4.90	–
प्राप्त प्रचालन सहायता लागत		
डी आई ए एल	15.61	112.36
एम आई ए एल	8.68	112.62
प्रचालन सहायता लागत के संबंध में प्राप्य राशि		
मिहान प्राइवेट लिमिटेड	3.86	–

(ग) ए एस 22 आस्थागित कर के अंतर्गत प्रकटन (डिसक्लोजर)

'आय पर करों के लिए लेखा' पर ए एस 22 के अनुसार 31 मार्च, 2010 को शुद्ध आस्थागित कर के लेखे का विवरण नीचे दिए गए अनुसार है :

₹ करोड़ में

मदें	2009–10	2008–09
पुस्तक तथा कर ह्रास में अन्तर	61.23	99.91
अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान	190.69	211.27
नगर निगम कर	12.06	22.07
छुट्टी नकदीकरण/सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा लाभ	140.05	149.32
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुनर्भुगतान हेतु प्रावधान	31.64	30.01
कल्याण (हितकारी निधि)	37.27	–
जे वी सी से अर्पैन्ट शुल्क	89.88	–
अनुग्रह / बोनस	9.26	–
आस्थगित कर आस्तियां (देयता)	572.08	512.58

(घ) ए एस–29 के अंतर्गत डिस्क्लोजर

प्रावधानों व आकस्मिक देयताओं का ब्यौरा तथा संचलन इस प्रकार है:–

₹ करोड़ में

	प्रावधान				आकस्मिक देयताएं
	कर	लाभांश	छुट्टी नकदीकरण	अन्य	
01.04.2009 को आरम्भिक शेष	3,240.83	37.40	394.11	448.01	1,358.44
परिवर्धन	599.32	142.50	15.68	–	173.59
उपयोग/समायोजन	(7.02)	(37.40)	(25.05)	(1.73)	(2.62)
31.03.2010 को अंतिम शेष	3,833.13	142.50	384.74	446.28	1,529.41

9. हैदराबाद तथा बैंगलोर हवाई अड्डे

हैदराबाद तथा बैंगलोर में नए हवाई अड्डों के चालू हो जाने के कारण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन हवाई अड्डों पर वाणिज्यिक नागर विमानन गतिविधियों के लिए अब उपयोग नहीं की जा रही सुविधाओं / परिसम्पत्तियो के वैकल्पिक इस्तेमाल के लिए उपाय ढूंढ रहा है।

10. राष्ट्रीय उडान प्रशिक्षण संस्थान (एन आई एफ टी) – गोंडिया:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष के दौरान एन आई एफ टी में ₹13.42 करोड का इक्विटी अंशदान किया तथा इसकी इक्विटी (₹ 2.89 करोड) मैसर्स पवन हंस लिमिटेड के पक्ष में खाता मूल्य पर स्थानांतरित की ।

11. नागपुर हवाई अड्डा:

महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कम्पनी (एम ए डी सी) के साथ संयुक्त उद्यम करार के अनुसार नागपुर हवाई अड्डे का प्रचालन नवगठित संयुक्त उद्यम कम्पनी (जे वी सी) नामतः मिहान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 7 अगस्त, 2009 से सौंपा गया था। संयुक्त उद्यम कम्पनी (जे वी सी) में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इक्विटी 49% है तथा महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कम्पनी (एम ए डी सी) की इक्विटी 51% है। वर्ष के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने संयुक्त उद्यम कम्पनी में ₹ 4.90 करोड का इक्विटी अंशदान किया है।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को संयुक्त उद्यम कम्पनी को प्रचालन सहायता प्रदान करना है। मिहान की व्यवस्था हेतु तैनात 155 जनशक्ति की लागत के रुप में सेवाकर सहित ₹ 3.86 करोड की राशि को 31.3.2010 से मिहान से वसूली योग्य दर्शाया गया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आस्तियों (मौजूदा नियंत्रण टावर, भविष्य में बनने वाले तकनीकी ब्लाक व नियंत्रण टावर तथा सी एन एस / ए टी एम के प्रकार्यो से संबंधित अन्य उपकरणों के अतिरिक्त) तथा महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कम्पनी द्वारा प्रदत्त भूमि, जो संयुक्त उद्यम कम्पनी (जे वी सी) को सुपुर्द की गई है, के मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकक नियुक्त किया गया है। मूल्यांकन राजस्व शेयर के आधार पर जो शेयर चयनित विकासकर्ता से प्राप्त होगा उसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कम्पनी के मध्य वितरित किया जाएगा।

12. वर्ष 1991 से पूर्व के वर्षों के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पूंजीगत ऋणों को आरम्भ करने पर ब्याज के प्रावधान के उत्क्रमण के लिए तथा निर्धारण वर्ष 1997–98 से 2000–01 के लिए आयकर विभाग से प्राप्त ब्याज के लिए ₹ 313.95 करोड़ की राशि को समायोजन के रुप में मे लाभ हानि विनियोजन खाते में परिलक्षित किया गया है।

13. वचनबद्धता

पूंजीगत लेखे में निष्पादित किए जाने हेतु शेष ठेके की अनुमानित राशि और जिसका प्रावधान नहीं किया गया है, वह तुलन पत्र की तारीख को साख पत्र (₹ 3947.01 करोड़) सहित ₹ 3872.34 करोड़ है।

14. सामान्य:

क. आयकर अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के अनुसार करों का भुगतान किया जाता है।
ख. संसद में लेखे प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकार को लाभांश का भुगतान किया जाता है।
ग. आकस्मिक तथा अन्य देयताओं को स्थिति अनुसार निपटाया जाता है।

15. अन्य

(i) अग्रिमों / उपभोक्ता लेखों / देयताएं आदि की शेष पुष्टि / समाधान के अधीन है।
(ii) ₹ 11.11 लाख (पिछले वर्ष ₹ 11.64 लाख) की हानियों की जांच पड़ताल लम्बित है।
(iii) गत वर्षों के आंकड़ों तथा अनुसूचियों को आवश्यकतानुसार पुनः व्यवस्थित / पुनः समूहीकृत किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.07.2010

(एम0 सी0 किशोर)	(शंकर चौधरी)	(सतीश सी0 छतवाल)	(वी0 पी0 अग्रवाल)
कार्यपालक निदेशक (निगमित कार्य) एवं कम्पनी सचिव	कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)	सदस्य (वित्त)	अध्यक्ष

अनुलग्नक–"यू"

लेखा नीतियाँ

प्राधिकरण द्वारा अनुसरण की गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियां इस प्रकार है:

1. लेखा आधार

लेखों को मान्य राजस्वों सहित ऑन गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किया गया तथा व्ययों की गणना अक्रुवल आधार पर की गई ।

2. स्थिर आस्तियां

(i) स्थिर आस्तियों को लागत (अर्जन, प्रतिष्ठापन तथा चालू करने से संबंधित अन्य व्ययों सहित) माना गया है ।
(ii) पूंजीकरण को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पूंजीकरण नीति के अनुसार कार्यान्वित किया गया है ।
(iii) वे सभी परियोजनाएं जिन्हें पूरा कर लिया गया है परन्तु उन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा सका, उन्हें परियोजना के पूरा होने की तारीख से तीन महीने के पश्चात् पूंजीकृत किया गया है ।
(iv) आंशिक रूप से पूर्ण कार्य / परियोजनाओं तथा उनको प्रयोग में लेने वाले कार्यों को तकनीकी निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत किया गया।
(v) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आस्तियों से असंबंधित व्यय राजस्व व्ययों के रूप में प्रभारित किए गए हैं।
(vi) परित्यक्त कार्यों के मामले में पूर्व–परियोजना व्यय तथा समय से पूर्व समाप्त किए गए व परित्यक्त कार्यों के लिए किए गए व्यय को राजस्व व्यय के रुप में प्रभारित किया गया है ।
(vii) स्थिर आस्तियां जिनका पूर्णतयाः मूल्यह्रास हुआ है उन्हें ₹ 1 के शेष मूल्य पर दर्शाया गया है ।
(viii) राज्य सरकार से निःशुल्क अर्जित गैर वित्तीय आस्ति की लागत प्रत्येक प्रकार की आस्ति के लिए ₹ 1 के नाम मात्र के मूल्य माना गया है।
(ix) जहां कहीं भूमि की बिक्री / हस्तांतरण / निपटारा किया गया तथा ऐसी भूमि का मूल्य विशेष उपलब्ध नहीं है, वहां निःशुल्क अर्जित भूमि के मामलों को छोड़कर यह अर्जन की औसत लागत पर मूल्य दर्शाया गया है ।
(x) संयुक्त स्थित आस्तियों के मामले में ऐसी आस्तियों में भा.वि.प्रा. के हिस्से को लागत मूल्य के अनुसार लेखाकृत किया गया है तथा तदनुसार मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है ।
(xi) परियोजनाओं के लिए उधार पर ब्याज पूंजीकृत है ।
(xii) पूंजीगत परियोजनाएं देख रहे विशिष्ट परियोजना प्रभाग के प्रत्यक्ष राजस्व व्यय को कार्यों की समापन लागत के साथ पूंजीगत किया गया है। परियोजना के संबंध में एकत्रित अग्रिम पर ब्याज परियोजना व्यय के लिए निर्धारित है ।
(xiii) भविष्य में आर्थिक दृष्टि से लाभकारी साफ्टवेयर जैसी अमूर्त आस्तियों को पूंजीगत करते हुए 5 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया है ।

3. निवेश

दीर्घावधि निवेश लागत के अनुसार है।

4. मूल्यह्रास

(i) मूल्यह्रास का प्रावधान स्थिर आस्ति अनुसूची में उल्लिखित दरों के अनुसार स्ट्रेट लाइन पद्धति से किया गया है ।
(ii) वर्ष के दौरान किसी भी समय स्थिर आस्तियों में की गई वृद्धि पर मूल्यह्रास को पूरे वर्ष के लिए हिसाब में लिया गया है ।
(iii) स्थिर आस्ति के वर्ष के दौरान किए गए निपटान पर मूल्यह्रास नहीं लिया गया है ।

5. देनदार

सरकारी विभागों के अतिरिक्त अन्य पार्टियों से 2 वर्षों से भी अधिक पुराने वसूली योग्य ऋण को संदिग्ध ऋण माना गया है तथा दिखाया गया है। माध्यस्थम / मुकदमेबाजी / विवादों से संबंधित मामलों में ऋण की अवधि के कुछ भी होने पर लेखों में आवश्यक प्रावधान किया गया है। उपलब्ध जमानत जमा पर संदिग्ध ऋणों का प्रावधान करते समय विचार नहीं किया गया है।
संदिग्ध ऋण के प्रावधान में देनदारों से प्राप्य सेवा कर की राशि को शामिल नहीं किया गया है ।

6. भंडार / स्पेयर

(i) वर्ष के दौरान उपभोग किए गए भण्डार / स्पेयर को राजस्व व्यय के रुप में प्रभारित किया गया है ।
(ii) वर्ष के अंत में भंडार (5000 तथा उससे कम की इकाई लागत वाले भंडार / स्पेयर के अतिरिक्त) प्राप्ति की तारीख से 5 वर्षो की अवधि के लिए एफ आई एफ ओ आधार पर लागत मूल्य पर मूल्यांकित है इसके पश्चात् मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है:– छठे वर्ष में–लागत का 70%

सातवें वर्ष में–लागत का 40%

आठवें वर्ष में–लागत का 10%

(iii) 1.4.2005 को अनप्रयक्त भण्डार / स्पेयर को लागत के 10% पर मूल्यांकित किया गया है ।

7. **अनुदान तथा सब्सिडी**

सरकार द्वारा अनुमोदित करार के तहत आस्तियों के अधिग्रहण हेतु सरकार तथा विदेशी वित्तीय संस्थानों से अनुदान/आर्थिक सहायता के रुप में प्राप्त हुई राशियों को पूंजी अनुदान में दर्शाया गया है । आस्तियों के पूंजीकरण के समय उनके पुस्तक मूल्य में आस्तियों के सकल मूल्य से अनुदानों की कटौती की जाती है। अनुदान व आस्ति की लागत समान होने पर आस्ति को ₹ 1 के नाममात्र मूल्य पर तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में दर्शाया जाना चाहिए ।

8. **विदेशी मुद्रा का लेन–देन**

(i) विदेशी मुद्रा की, लेन–देन की तारीख पर विद्यमान विनिमय दर पर गणना की गई है ।

(ii) तुलनपत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा में आस्तियों और ऋण/अन्य देयताओं का पुनर्निर्धारण वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर के आधार पर दर्शाया गया है सिवाय एक्सचेंज अर्नर फारेन करेन्सी (ई ई एफ सी) लेखों में शेष को छोड़कर जिसे रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे लेखों के लिए निर्धारित दरों के अधीन लेखा में शामिल किया गया है ।

9. **विशेष मरम्मतें**

(i) धावनपथों, टैक्सीपथों व एप्रनों आदि पर उनके पेवमेंट क्लासिफिकेशन नम्बर (पी सी एन) वैल्यू को मूल स्तर पर लाने के लिए विशेष मरम्मत के कार्यों पर हुए खर्च में कई बार पेवमेंट क्लासिफिकेशन नम्बर में हुई आकस्मिक वृद्धि को प्रभारित किया जाना है ।

(ii) सी एफ टी एस के पुनः सुसज्जित करने को विशेष मरम्मतों के रुप में माना जाता है तथा व्यय वर्ष के दौरान प्रभारित किया जाता है ।

10. **राजस्व रेकगनिशन**

(i) राजस्व को अक्रुवल आधार पर प्रदत्त सेवाओं के रुप में माना गया है तथा यह सेवा कर के उपरांत शुद्ध राशि है ।

(ii) बिल उस समय जारी किए जाते है जब इनके तथा अंततः वसूली के संबंध में कोई विशेष संशय न हो ।

(iii) कानूनी विवादों/पी पी ई अधिनियम, देरी से किए गए भुगतानों पर ब्याज, कार्गो विलंब शुल्क (एयरलाइनों/एजेंसियों के प्रति जारी बिलों के अतिरिक्त) बीमा दावे, स्टाफ अग्रिमों पर ब्याज आदि जैसे मामलों में गणना प्राप्ति के आधार पर की गई है

(iv) ''सर्व इंडिया योजना'' के अधीन प्राप्त सीमा–शुल्क छूट प्रमाण पत्रों की अनुमानित उपयोग पर आधारित आय के रुप में गणना की जाती है ।

(v) प्राधिकरण द्वारा किए गए निक्षिप्त कार्यों के संबंध मे विभागीय प्रभारों के रूप में उपार्जित आय की राशि को धनराशि प्राप्त होने अथवा अंतिम दावा प्रस्तुत किए जाने पर लेखों में दर्ज किया जाता है ।

11. **आयकर**

आयकर के प्रावधान को आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के आधार पर अग्रिम कर के रुप में समायोजित किया गया है ।

12. **आस्थगित कर**

लेखा पुस्तिका तथा कर योग्य लाभ के बीच समय अन्तराल के परिणामस्वरूप आस्थगित कर को तुलन पत्र की तारीख से लागू किया अथवा मूलभूत रूप में लागू कर दरों तथा कानूनों के प्रयोग से लेखा में शामिल किया गया है । आस्थगित कर आस्ति निर्धारित सीमा तक ही आगे ले जाई गई है जहां तक इसके भविष्य में प्राप्ति की पर्याप्त संभावनाएं हो।

13. **आस्तियों की हानि**

अगर आंतरिक/ बाह्य कारणों पर आधारित हानि का कोई संकेत हो तो प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को आस्तियों को आगे ले जाने वाली राशि की समीक्षा की जाती है । जब भी एक आस्ति को आगे ले जाने वाली राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो आस्तियों की हानि ज्ञात होती है ।

14. **सेवानिवृत्ति लाभ**

ग्रेच्युटी, अर्जित छुट्टी, अर्द्ध वेतन छुट्टी, सेवा–निवृत कर्मचारियों सहित कर्मचारियों के चिकित्सा लाभ व समाधान लाभ के लिए प्रावधान एक्च्यूरियल वैल्यूएशन के आधार पर किया गया है ।

15. **अन्य**

(i) विशिष्ट आरक्षित का उपयोग बोर्ड द्वारा विशिष्ट आरक्षित के उपयोग हेतु अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है ।

(ii) हथियारों सहित सी आई एस एफ पर किया गया व्यय, राजस्व व्यय के रुप में प्रभारित है ।

(iii) तीन वर्षों से अधिक ई एम डी/सुरक्षा निक्षेप जिनका दावा नहीं किया गया है उन्हें विविध आय के रुप में माना गया है ।

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 26.07.2010	**(एम0 सी0 किशोर)** कार्यपालक निदेशक (निगमित कार्य) एवं कम्पनी सचिव	**(शंकर चौधरी)** कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)	**(सतीश सी0 छतवाल)** सदस्य (वित्त)	**(वी0 पी0 अग्रवाल)** अध्यक्ष

अनुसूची–"वी"

सेगमेंट इंफारमेशन

(₹ लाख में)

क्र.	क्षेत्र	राजस्व		व्यय		अंशदान/अधिशेष	
		2009–10	2008–09	2009–10	2008–09	2009–10	2008–09
1	उत्तरी क्षेत्र	**1,22,242.79**	1,02,723.09	**88,193.36**	74,432.49	**34,049.43**	28,290.61
2	पश्चिमी क्षेत्र	**1,26,828.56**	1,18,294.29	**83,535.91**	71,835.47	**43,292.65**	46,458.82
3	दक्षिणी क्षेत्र	**1,44,729.77**	1,34,175.41	**1,13,544.65**	1,08,768.60	**31,185.12**	25,406.81
4	पूर्वी क्षेत्र	**59,101.65**	56,456.28	**71,437.99**	63,605.98	**(12,336.34)**	(7,149.69)
5	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	**8,495.97**	6,657.79	**25,699.32**	24,194.64	**(17,203.35)**	(17,536.85)
6	क्षे.ले.ए., एस.ए.पी.	**130.59**	287.58	**7,889.50**	7,036.77	**(7,758.91)**	(6,749.19)
	योग	**4,61,529.34**	4,18,594.45	**3,90,300.74**	3,49,873.94	**71,228.60**	68,720.51

नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		मार्च 31 को समाप्त वर्ष 2010	2009
(क) प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह (कैश फ्लो)			
विशिष्ट मदों और करारोपण से पूर्व लाभ		**1,22,843.87**	1,11,571.51
समायोजन हेतु			
मूल्यह्रास (पूर्व अवधि आदि सहित)		**75,126.96**	63,536.22
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों में शुद्ध जोड़		**14,675.88**	84,354.97
सदिंग्ध ऋणों के लिए संचित प्रावधानों में शुद्ध जोड़		**(191.92)**	(9,457.63)
अन्य मदें		**31,394.66**	–
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार/व्यय		**792.52**	261.80
सावधि जमाओं पर ब्याज आय		**(734.93)**	(9,220.28)
विक्रय की गई / हटाई गई परिसम्पत्तियों पर (लाभ), शुद्ध		**(245.46)**	(176.33)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ		**2,43,661.58**	2,40,870.26
वर्तमान आस्तियों में (वृद्धि/कमी)		**(21,627.28)**	(22,363.93)
वर्तमान देयतायों में (वृद्धि/कमी)		**39,281.86**	(12,781.95)
प्रचालन से प्राप्त नकदी		**2,61,316.16**	2,05,724.38
प्रत्यक्ष कर भुगतान (प्रतिदायों का निवल)		**(33,492.40)**	(71,362.89)
प्रचालन गतिविधियों से नकद निवल की प्राप्ति	(क)	**2,27,823.76**	1,34,361.49
(ख) निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह (कैश फ्लो)			
स्थिर आस्तियों की खरीद/उसमें वृद्धि		**(1,55,889.76)**	(1,62,556.11)
स्थिर आस्तियों की बिक्री/ समायोजन से प्राप्तियाँ		**3,824.89**	5,995.06
स्थिर आस्तियों/सी.डब्ल्यू.आई.पी.–पूंजी अनुदानों का उपयोग		**(6,060.97)**	(1,839.74)
चल रहे निर्माण कार्यों पर व्यय		**(1,18,951.27)**	(61,631.09)
मैसर्स पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. को खाता मूल्य पर गोंडिया हवाई अड्डे का शेयर बेचने से प्राप्ति		**289.34**	–
सावधि जमाओं पर ब्याज आय		**734.93**	9,220.28
संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश/निवेश के लिए अग्रिम		**(7,032.27)**	(38,418.82)
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह	(ख)	**(2,83,085.11)**	(2,49,230.42)

नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		मार्च 31 को समाप्त वर्ष 2010	2009
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह			
ना.वि.मं. से बजटीय सहायता के			
इक्विटी भाग की प्राप्ति		**4,958.00**	7,263.00
ना.वि.मं. सरकार से पूंजीगत अनुदान के रूप में प्राप्ति		**7,995.00**	14,404.20
ब्याज तथा वित्तीय प्रभारों का भुगतान		**(243.39)**	(125.03)
(भारत सरकार सहित) उधार से प्राप्ति		**59,957.00**	18,670.03
आवधि ऋण का पुनर्भुगतान		**(15,767.50)**	(1,750.00)
लाभांश भुगतान		**(3,740.00)**	(21,638.00)
लाभांश भुगतान पर कर		**(635.61)**	(3,677.38)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	(ग)	**52,523.50**	13,146.82
नकद व नकद समकक्ष में निवल परिवर्तन	(क+ख+ग)	**(2,737.85)**	(1,01,722.11)
वित्तीय वर्ष के आरंभ में नकद व नकद समकक्ष		**38,944.36**	1,40,666.47
वित्तीय वर्ष के अंत में नकद व नकद समकक्ष		**36,206.51**	38,944.36

31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994) की धारा 28 (2) तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा विवरण) नियम, 2008 के अधीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (प्राधिकरण) की 31 मार्च 2010 की संलग्न बैलेंस शीट तथा उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे की लेखा परीक्षा की है । इन वित्तीय विवरणों में 51 स्व लेखा इकाईयों के लेखे शामिल है । इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी प्राधिकरण के प्रबंधन की है । हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार प्रकट करने की ही है ।

हमने अपनी लेखापरीक्षा, भारत में सामान्यतः मान्य लेखापरीक्षा प्रतिमानों के अनुसार की है । इन प्रतिमानों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा को इस प्रकार नियोजित तथा निष्पादित करें ताकि हमें इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरण तथ्यात्मक रुप से गलत विवरणों से मुक्त हैं । लेखापरीक्षा में जांच आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों तथा प्रकटनों के समर्थन में दिए गए प्रमाणों की परीक्षा शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयोग में लाए गए प्रकटनों एवं प्रबंधन द्वारा दर्शाए गए महत्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन और साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल है । हमें विश्वास है कि हमने अपनी लेखा परीक्षा में युक्तिसंगत आधार पर अपना मत व्यक्त किया है ।

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट देते हैं कि:–

(i) हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य हेतु हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार जो सूचना तथा स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सभी हमने प्राप्त कर लिए हैं :

(ii) इस रिपोर्ट में जो बैलेंस शीट तथा लाभ व हानि लेखा प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 की धारा 41 की उपधारा (2) के खंड (छ) तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नियम 2008 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए प्रपत्र में तैयार किया गया है ।

(iii) हमारी राय में जहां तक हमारे द्वारा इन लेखा बहीखातों की परीक्षा करने से प्रतीत होता है, प्राधिकरण द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 की धारा 28 (1) के अंतर्गत बताई गई आवश्यकता के अनुसार लेखा बहीखातों एवं अन्य प्रासंगिक रिकॉर्डों को सही रुप में तैयार करके रखा गया है, सिवाय इसके कि:–

क. सामान्य

1. कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्टों के संबंध में प्राधिकरण के लेखों में दर्शाई राशि का ट्रस्ट की लेखा पुस्तकों की शेष राशि से सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि प्राधिकरण के लेखे के बंद होने के समय तक ट्रस्ट के वर्ष 2009–10 के खाते को अंतिम रुप नहीं दिया गया था ।

ख. लाभ व हानि लेखा

अन्य विविध आय ₹ 249.90 करोड़

इसमें ₹ 313.95 करोड़ की राशि (क) 1991 से पूर्व के वर्षों के लिए आहरित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एन ए ए) के ₹ 167.61 करोड़ के आरंभिक पूंजीगत ऋण पर ब्याज के प्रावधान हेतु व (ख) आयकर विभाग से मूल्यांकन वर्ष 1997–98 से 2000–01 के लिए प्राप्त ब्याज की राशि ₹ 146.34 करोड़ शामिल नहीं है । वास्तव में प्राधिकरण ने उपर्युक्त राशि को लाभ व हानि विनियोजन लेखा में दिखाया है जो कि मानक लेखा पद्धतियों के अनुसार नहीं है । इसके कारण चालू वर्ष की आय व लाभ कम करके आंका गया है।

इसके अतिरिक्त, लेखों के भाग के रुप में टिप्पणियां (अनुसूची–टी) के नोट सं. 11 में की गई घोषणा में भी इस सीमा तक कमी है कि यह ₹ 313.95 करोड़ का ब्रेक अप नहीं दिखाती है।

(iv) उपरोक्त अनुच्छेदों में की गई अपनी टिप्पणियों के आधार पर हम यह रिपोर्ट देते हैं कि इस रिपोर्ट के माध्यम से बनाई गई बैलेंस शीट तथा लाभ–हानि लेखे, लेखा पुस्तकों के अनुरुप हैं।

(v) हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत उक्त वित्तीय विवरण, ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मुद्दों तथा उनके लेखापरीक्षा के अनुबंध –1 में उल्लिखित अन्य मुद्दों के मद्देनजर, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरुप सही व उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

(क) जहां तक बैलेंस शीट का संबंध है, वह प्राधिकरण के 31 मार्च, 2010 के क्रियाकलापों से संबधित है तथा

(ख) जहां तक लाभ–हानि लेखों का संबंध है, वर्ष की समाप्ति की तारीख को प्राधिकरण का लाभ दर्शाता है।

प्रधान निदेशक,वाणिज्यिक लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – I, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 7 अक्तूबर, 2010

31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–1

1. **स्थिर आस्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**

   स्थित आस्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली में और सुधार अपेक्षित हैं ।

2. **सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**

   सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली में और सुधार अपेक्षित हैं ।

चैन्नई हवाई अड्डा, चैन्नई पर प्रगतिरत निर्माण कार्य

पाक्योंग हवाई अड्डा, सिक्किम पर प्रगतिरत निर्माण कार्य

एन.एस.सी.बी.आई. हवाई अड्डा, कोलकाता पर प्रगतिरत निर्माण कार्य